भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई- 400 001

आरबीआई/2014-15/3

मास्टर परिपत्र सं.12/2014 -15 — 1 जुलाई 2014

(21 नवंबर 2014 तक अद्यतन)

सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक और प्राधिकृत बैंक

महोदया /महोदय,

मास्टर परिपत्र - बाह्य वाणिज्यिक उधार और व्यापारिक उधार

निवासियों द्वारा लिए गए बाह्य वाणिज्यिक उधार और व्यापारिक उधार, समय-समय पर यथासंशोधित 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.3/2000-आरबी, अर्थात 3 मई 2000 की विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना और देना) विनियमावली, 2000 के साथ पठित विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 6 की उप-धारा 3 के खंड (डी) द्वारा नियंत्रित होते हैं।

2. यह मास्टर परिपत्र "बाह्य वाणिज्यिक उधार और व्यापारिक ऋण " विषय पर सभी वर्तमान अनुदेशों को एक स्थान पर समेकित करता है। इस मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों/ अधिसूचनाओं की सूची परिशिष्ट में दी गई है। सामान्य मार्गदर्शन के लिए इस मास्टर परिपत्र का संदर्भ लिया जाए। आवश्यक हो ने पर विस्तृत जानकारी के लिए प्राधिकृत व्यक्ति और प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक संबंधित परिपत्रों/अधिसूचनाओं का संदर्भ लें।

3. नए अनुदेश जारी होने पर, इस मास्टर परिपत्र को समय-समय पर अद्यतन किया जाता है। मास्टर परिपत्र किस तारीख तक अद्यतन है, इसका उचित रूप में उल्लेख किया जाता है।

भवदीय,

(बी.पी.कानूनगो)
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

अनुक्रमणिका

भाग-I

बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी)

I.(ए) स्वचालित / स्वतः अनुमोदित मार्ग

i) पात्र उधारकर्ता

ii) मान्यताप्राप्त उधारदाता

iii) राशि और परिपक्वता

iv) समग्र लागत सीमा

v) अंतिम उपयोग

vi) स्पेक्ट्रम आबंटन के लिए भुगतान

vii) अंतिम उपयोग अनुमत नहीं

viii) गारंटी

ix) ज़मानत

x) बाह्य वाणिज्यिक उधार की आगम राशि को पार्क करना

xi) समयपूर्व भुगतान

xii) मौज़ूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार का पुनर्वित्तपोषण

xiii) कर्ज - भुगतान

xiv) जांच के अधीन कार्पोरेट

xv) क्रियाविधि

I. (बी) अनुमोदन मार्ग

i) पात्र उधारकर्ता

ii) मान्यताप्राप्त उधारदाता

iii) राशि और परिपक्वता

iv) समग्र लागत सीमा

v) अंतिम उपयोग

vi) रुपया ऋणों की अदायगी और/अथवा सतत विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाली भारतीय कंपनियों के लिए नए रुपया पूंजी व्यय हेतु ईसीबी

vii) सस्ती लागत वाले आवासों हेतु ईसीबी

viii) 3जी स्पेक्ट्रम आबंटन

ix) अंतिम उपयोग अनुमत नहीं

x) गारंटी

xi) ज़मानत

xii) बाह्य वाणिज्यिक उधार की आगम राशि को पार्क करना

xiii) समयपूर्व भुगतान

xiv) मौज़ूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार का पुनर्वित्तपोषण/पुनर्निधारण

xv) कर्ज का भुगतान

xvi) क्रियाविधि

xvii) अधिकार प्रदत्त (empowered) समिति

II. विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड

III. विदेशी मुद्रा विनिमय योग्य (विनिमेय) बांड

IV. संरचनात्मक दायित्व

V. टेकआउट वित्त पोषण

VI. बाह्य वाणिज्यिक उधार का ईक्विटी में परिवर्तन

VII. बाह्य वाणिज्यिक उधार को निश्चित रूप देना (Crystallisation)

VIII. पूर्ववर्ती 5 मिलियन अमरीकी डॉलर योजना के अंतर्गत बाह्य वाणिज्यिक उधार

IX. बाह्य वाणिज्यिक उधार के मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन

X. रिपोर्टिंग व्यवस्थाएं और सूचना का प्रसार

i) रिपोर्टिंग व्यवस्थाएं

ii) सूचना का प्रसार

XI. क्रियाविधियों को युक्तिसंगत बनाना - प्राधिकृत व्यापारियों को अधिकारों का प्रत्यायोजन

(ए) कमी /चुकौती सारणी में परिवर्तन/आशोधन

(बी) उधार की मुद्रा में परिवर्तन

(सी) प्राधिकृत व्यापारी बैंक का परिवर्तन/को बदलना

(डी) उधारकर्ता कंपनी के नाम में परिवर्तन

(ई) मान्यताप्राप्त उधारदाता में परिवर्तन

(एफ) एलआरएन रद्द करना

(जी) बाह्य वाणिज्यिक उधार आगम राशि के अंतिम उपयोग में परिवर्तन

(एच) बाह्य वाणिज्यिक उधार की राशि में कमी

(आई) बाह्य वाणिज्यिक उधार की समग्र राशि में कमी

भाग-II

भारत में आयात के लिए व्यापारिक उधार

(ए) राशि और परिपक्वता अवधि

(बी) समग्र लागत सीमा

(सी) गारंटी

(डी) रिपोर्टिंग व्यवस्थाएं

अनुबंध-I - फार्म ईसीबी

अनुबंध –II - फार्म 83

अनुबंध -III - ईसीबी-2

अनुबंध –IV - फार्म - टीसी

अनुबंध – V - प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा जारी गारंटी/ वचनपत्र/ लेटर ऑफ कंफर्ट संबंधी विवरण

अनुबंध –VI - औसत परिपक्वता की गणना - उदाहरण

अनुबंध –VII – निधि तथा गैर निधि आधारित गतिविधियों के लिए अनिवासी एंटिटीज़ से ली गई गारंटियों संबंधी तिमाही विवरण

परिशिष्ट - अधिसूचनाओं/ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्रों की सूची

भाग-I

बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी)

भारतीय कंपनियों को निम्नलिखित पद्धतियों से विदेश से निधियां लाने की अनुमति है।

(i) **बाह्य वाणिज्यिक उधार(ईसीबी):** बाह्य वाणिज्यिक उधार का संबंध अनिवासी उधारदाताओं से लिए गये कम से कम तीन वर्ष की औसत परिपक्कता अवधि वाले बैंक ऋण, प्रतिभूतिकृत (सिक्यूरिटाइज्ड) लिखत {अर्थात अस्थिर दर वाले नोट और निर्धारित दर वाले बांड, अपरिवर्तनीय, वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय अथवा आंशिक रूप से परिवर्तनीय अधिमानी (प्रिफरेंस) शेयर}, क्रेता ऋण, आपूर्तिकर्ता ऋण रूपी वाणिज्यिक ऋणों से है।

(ii) **विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड**(FCCBs): विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड का तात्पर्य उस बांड से है जो किसी भारतीय कंपनी द्वारा विदेशी मुद्रा में जारी किया गया हो और जिसका मूल तथा ब्याज विदेशी मुद्रा में देय हो। ये बांड योजना अर्थात "विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड और सामान्य शेयर निर्गम (जमा रसीद व्यवस्था के माध्यम से) योजना, 1993" के अनुसार जारी किए जाने और अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में अभिदान किए जाने तथा ऋण लिखतों से संबद्ध ईक्विटी से संबंधित वारंट के आधार पर पूर्णत: अथवा आंशिक रूप में किसी भी प्रकार से, जारीकर्ता कंपनी के सामान्य शेयरों में परिवर्तनीय होने अपेक्षित हैं। बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) नीति विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों (एफसीसीबी) पर लागू है। विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड निर्गम के लिए, समय-समय पर यथासंशोधित, 7 जुलाई, 2004 की अधिसूचना फेमा सं. 120/आर बी-2004 के प्रावधानों का अनुपालन करना आवश्यक है।

(iii) **अधिमानी (प्रिफरेंस) शेयर**: अधिमानी (प्रिफरेंस) शेयर (अर्थात अपरिवर्तनीय, वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय अथवा आंशिक रूप से परिवर्तनीय), जिसके निर्गम के लिए निधियां 1 मई 2007 को अथवा उसके बाद प्राप्त की गयी हैं, कर्ज के रूप में माने जाएंगे तथा बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति के अनुसार होंगे। तदनुसार, बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए लागू सभी मानदण्ड अर्थात पात्र उधारकर्ता, मान्यताप्राप्त उधारदाता, राशि और परिपक्कता, अंतिम उपयोग संबंधी शर्तें, आदि लागू होंगे। चूंकि इन लिखतों को रुपयों में मूल्यवर्गीकृत किया जाएगा, रुपया ब्याज दर लिबोर प्लस के समतुल्य स्वैप पर आधारित होगी जो समान परिपक्कता के बाह्य वाणिज्य उधारों के लिए अनुमत है।

(iv) **विदेशी मुद्रा विनिमय योग्य बांड (एफसीईबी)**: विदेशी मुद्रा विनिमय योग्य बांड से उस बांड का अभिप्राय है जो विदेशी करेंसी में निश्चित किया जाये, जिसकी मूल राशि तथा ब्याज दोनों ही विदेशी मुद्रा में देय हों, जिसे निर्गम कंपनी द्वारा जारी किया गया हो, भारत के बाहर रहने वाले ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा में अभिदत्त हो, जो विदेशी करेंसी में हो तथा दूसरी कंपनी जिसे ऑफर्ड कंपनी कहा जाता है के ईक्विटी शेयर में विनिमय योग्य हो, जो या तो पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से अथवा ऋण लिखतों से संबद्ध किसी ईक्विटी से संबंधित वारंट के आधार पर परिवर्तनीय हो। विदेशी मुद्रा विनिमय योग्य बांड (एफसीईबी) में, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग की 15 फरवरी 2008 की अधिसूचना जी.एस.आर.89(ई) द्वारा अधिसूचित "विदेशी मुद्रा विनिमय योग्य बांड (एफसीईबी) निर्गम योजना, 2008" का पालन किया जाए। बाह्य वाणिज्यिक उधारों का

नियंत्रण करनेवाले दिशा-निर्देश, नियम आदि विदेशी मुद्रा विनिमय योग्य बांडों के लिए भी लागू हैं ।

बाह्य वाणिज्यिक उधार को दो मार्गों, अर्थात (i) पैराग्राफ I (ए) में दिए गए स्वतः अनुमोदित मार्ग और (ii) पैराग्राफ I (बी) में दिए गए अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत प्राप्त किया जा सकता है।

संपदा क्षेत्र-औद्योगिक क्षेत्र, विशेषकर भारत में संरचनात्मक क्षेत्र और पैरा I(ए)(i) (ए) के तहत दर्शाये गये अनुसार विशिष्ट सेवा क्षेत्रों में निवेश हेतु बाह्य वाणिज्यिक उधार स्वतः अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत आते हैं अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक / सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है । स्वतः अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत पात्रता के संबंध में संदेह हो तो, आवेदक अनुमोदन मार्ग का सहारा ले सकते हैं । यह स्पष्ट किया जाता है कि बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए पात्रता को, पात्र उधारकर्ता, मान्यताप्राप्त उधारदाता, अंतिम उपयोग, आदि के साथ सम्मिलित रूप में पढ़ा जाए, न कि अलग-अलग।

I (ए) स्वचालित/स्वत: अनुमोदित मार्ग

बाह्य वाणिज्यिक उधारों के लिए प्रस्तावों के निम्नलिखित प्रकार अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत आते हैं ।

i) पात्र उधारकर्ता

(ए) होटल, अस्पताल, सॉफ्टवेयर क्षेत्रों की कंपनियों सहित कंपनियां (कंपनी अधिनियम,1956 के अधीन पंजीकृत), गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां-इफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियां (आईएफसी), एनबीएफसी परिसंपत्ति वित्त कंपनियों (एएफसी), भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक, वित्तीय मध्यस्थों जैसे बैंक, वित्तीय संस्थाओं (एफआई), आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) एवं गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), रिज़र्व बैंक द्वारा विशेष रूप से अनुमत को छोड़कर, के सिवाय, बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने के लिए पात्र हैं। व्यक्ति, ट्रस्ट (माइक्रो फाइनेंस गतिविधियों में संलग्न से भिन्न) और लाभ न कमाने वाले संगठन बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने के लिए पात्र नहीं हैं।

(बी) विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाइयों को अपनी आवश्यकता के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार उगाहने की अनुमति है। फिर भी, वे सहयोगी संस्थाओं अथवा स्व-देशी टैरिफ एरिया में किसी इकाई को बाह्य वाणिज्यिक उधार निधियों का अंतरण अथवा आगे उधार नहीं दे सकती हैं।

(सी) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों-इफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियों (आईएफसी) को बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति के तहत यथा परिभाषित इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को आगे उधार देने के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने की अनुमति दी गयी है।

(डी) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों-परिसंपत्ति वित्त कंपनियों (एएफसी) को इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को इंफ्रास्ट्रक्चर उपकरण पट्टे पर देने के लिए उनके आयात के वित्तपोषण हेतु बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने की अनुमति दी गयी है।

(ई) माइक्रो फाइनेंस गतिविधियों में संलग्न गैर सरकारी संगठन बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने के लिए पात्र हैं।

(एफ) माइक्रो फाइनेंस गतिविधियों में लगी माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं (कंपनियां) बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने के लिए पात्र हैं। समितियाँ पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं (कंपनियाँ), भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अंतर्गत पंजीकृत माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं (कंपनियाँ), परंपरागत राज्य स्तरीय सहकारिता अधिनियमों, राष्ट्रीय स्तर के बहु-राज्य सहकारिता विधान या नए राज्य स्तरीय परस्पर सहायता सहकारी अधिनियमों के अंतर्गत पंजीकृत माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं (कंपनियाँ) और जो सहकारी बैंक नहीं हैं, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों-माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के रूप में वर्गीकृत हैं तथा 2 दिसंबर 2011 के परिपत्र सं.गैबैंपवि.कंपरि.सं.नीति प्रभा.सं.250/03.10.01/2011-12 में विनिर्दिष्ट मानदण्डों का अनुपालन करती हैं और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत पंजीकृत वे कंपनियाँ जो माइक्रो फाइनेंस गतिविधियों में लगी हैं, बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने के लिए पात्र हैं।

(जी) माइक्रो फाइनेंस में संलग्न गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) तथा समितियां, न्यास और सहकारी संस्थाएं जो माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के रूप में पंजीकृत हैं एवं माइक्रो के कारोबार में लगी हैं का (i) भारत में विदेशी मुद्रा का कारोबार करने के लिए प्राधिकृत अनुसूचित वाणिज्य बैंक के साथ कम से कम 3 वर्षों का संतोषजनक उधार लेने संबंधी संव्यवहार होना चाहिए और उन्हें (ii) नामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक से उधारकर्ता कंपनी के बोर्ड/प्रबंधन समिति के `सही और उचित' स्थिति के बाबत समुचित सावधानी संबंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।

(एच) भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक (माइक्रो, लघु और मध्यम एंटरप्राइज़ेज़ विकास (MSMED) अधिनियम, 2006 में यथा परिभाषित) माइक्रो, लघु और मध्यम एंटरप्राइज़ेज़ क्षेत्र को आगे उधार देने के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार ले सकता है।

(आई) सेवा क्षेत्र की कंपनियां अर्थात होटल, अस्पताल और साफ्टवेयर क्षेत्र की कंपनियां।

(जे) विविध सेवा क्षेत्र की कंपनियां (केवल समुद्रपारीय प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष ईक्विटी धारकों और ग्रुप कंपनियों से)। विविध सेवाओं में संलग्न कंपनियों का तात्पर्य प्रशिक्षण गतिविधियों (किन्तु शैक्षिक संस्थाएं नहीं), अनुसंधान और विकास गतिविधियों तथा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को संबल देने वाली कंपनियों से है। हालांकि, ट्रेडिंग कारोबार करने वाली कंपनियां, लाजिस्टिक सेवाएं देने वाली कंपनियां, वित्तीय सेवाएं एवं परामर्शी सेवाएं देने वाली कंपनियां यह सुविधा पाने वालों में शामिल नहीं हैं।

(के) रिज़र्व बैंक के विनियामक फ्रेमवर्क में आने वाली होल्डिंग कंपनियों/कोर निवेश कंपनियों को स्पेशल पर्पज वेहिकल (SPV) के तहत प्रोजेक्ट में उपयोग के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने की अनुमति है, बशर्ते एसपीवी की कारोबारी गतिविधि इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की हो जहां 'इंफ्रास्ट्रक्चर' शब्द की परिभाषा वही है जो वर्तमान बाह्य वाणिज्यिक उधार दिशानिर्देशों में है। परियोजना को लागू करने के लिए

विशेष रूप से स्थापित एसपीवी (SPV) द्वारा, विनिर्दिष्ट शर्तों के तहत, इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना को कार्यान्वित करना अपेक्षित है। रिज़र्व बैंक के कोर निवेशक कंपनी संबंधी विनियामक फ्रेमवर्क के तहत आने वाली होल्डिंग कंपनियों के मामले में, लिए गए बाह्य वाणिज्यिक उधार कोर निवेश कंपनियों के लिए विनिर्दिष्ट लीवरेज की उच्चतम सीमा के भीतर होने चाहिए एवं 100 करोड़ रुपए से कम की परिसंपत्तियों वाली कोर निवेश कंपनियों के मामले में, लिए गए बाह्य वाणिज्यिक उधार पूरी तरह हेज आधारित होने चाहिए।

(ii) मान्यता पात्र उधारदाता

(1) अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त स्रोतों, जैसे (ए) अंतर्राष्ट्रीय बैंक, (बी) अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाज़ार, (सी) बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं (जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्त कंपनी (आइएफसी), एशियाई विकास बैंक(एडीबी), सीडीसी, आदि),/ क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाओं और सरकार के स्वामित्ववाली विकास वित्तीय संस्थाओं, (डी) निर्यात ऋण एजेंसियों, (ई) उपकरणों के आपूर्तिकर्ताओं, (एफ) विदेशी सहयोगियों और (जी) विदेशी ईक्विटी धारकों (पहले की समुद्रपारीय कंपनी निकायों को छोड़कर) से उधारकर्ता बाह्य वाणिज्यिक उधार की उगाही कर सकते हैं।

(2) माइक्रो वित्तीय गतिविधियों में कार्यरत गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) तथा समितियों, न्यासों और सहकारी संस्थाओं के रूप में पंजीकृत माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं (कंपनियों) (ए) अंतर्राष्ट्रीय बैंकों, (बी) बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं, (सी) निर्यात ऋण एजेंसियों, (डी) समुद्रपारीय संगठनों और (ई) व्यक्तियों से बाह्य वाणिज्यिक उधार ले सकते हैं।

(3) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों-माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं (कंपनियों) को बहुपक्षीय (multilateral) संस्थाओं यथा आईएफसी, एडीबी, आदि/रीजनल फाइनेंसियल संस्थाओं/ अंतर्राष्ट्रीय बैंकों/विदेशी ईक्विटी धारकों और समुद्रपारीय संगठनों से बाह्य वाणिज्य उधार लेने के लिए अनुमति होगी।

(4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत पंजीकृत कंपनियों और जो माइक्रो फाइनेंस गतिविधियों में लगी हैं, को अंतर्राष्ट्रीय बैंकों, बहुपक्षीय (multilateral) वित्तीय संस्थाओं, निर्यात ऋण एजेंसियों, विदेशी ईक्विटी धारकों, समुद्रपारीय संगठनों और व्यक्तियों से बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने की अनुमति होगी।

(5) स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत "मान्यता प्राप्त उधारदाता" के रूप में पात्र होने के लिए "विदेशी ईक्विटी धारक" को निम्नलिखित निर्धारणानुसार उधारकर्ता कंपनी में प्रदत्त ईक्विटी की न्यूनतम धारिता की जरूरत होगी :

(i) 5 मिलियन अमरीकी डालर तक बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए - उधारदाता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से धारित 25 प्रतिशत की न्यूनतम प्रदत्त ईक्विटी (प्रस्तावित बाह्य वाणिज्यिक उधार सहित समस्त बकाया बाह्य वाणिज्यिक उधार);

(ii) 5 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक के लिए - उधारदाता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से धारित 25 प्रतिशत की न्यूनतम प्रदत्त ईक्विटी और ईसीबी देयता- ईक्विटी अनुपात 4:1 से अधिक न हो

(प्रस्तावित बाह्य वाणिज्यिक उधार सहित समस्त बकाया बाह्य वाणिज्यिक उधार);

अप्रत्यक्ष ईक्विटी होल्डरों से बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने की अनुमति है बशर्ते भारतीय कंपनी में उधारदाता की अप्रत्यक्ष ईक्विटी होल्डिंग 51% से कम न हो।

ग्रुप कंपनी से बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने की अनुमति है बशर्ते उधारकर्ता एवं विदेशी उधारदाता दोनों एक ही मूल कंपनी की सहायक कंपनियां हों।

बाह्य वाणिज्यिक उधार देयता-ईक्विटी अनुपात शब्दावली (टर्म) में, चुकता पूंजी के अलावा, नवीनतम लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार मुक्त आरक्षित निधियां (विदेशी मुद्रा में प्राप्त शेयर प्रीमियम सहित) विदेशी ईक्विटी धारक की ईक्विटी की गणना के लिए हिसाब में ली जाएंगी। जहाँ उधार लेने वाली कंपनी में एक से अधिक विदेशी ईक्विटी धारक हैं, वहाँ संबंधित उधारदाता(ओं) द्वारा विदेशी मुद्रा में लाए गए शेयर प्रीमियम के अंश ही अनुमत बाह्य वाणिज्यिक उधार राशि की गणना के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार देयता-ईक्विटी अनुपात हेतु शामिल किए जाएंगे ।

'बाह्य वाणिज्यिक उधार देयता' की गणना के लिए न केवल प्रस्तावित उधार को हिसाब में लिया जाएगा बल्कि लिए गए बाह्य वाणिज्यिक उधार की समस्त बकाया राशि भी शामिल की जाएगी।

6. निम्नलिखित सुरक्षा उपायों का अनुपालन करने वाले, समुद्रपारीय संगठन और व्यक्ति, बाह्य वाणिज्यिक उधार दे सकते हैं:

(i) बाह्य वाणिज्यिक उधार देने की योजना वाले (देने के इच्छुक) समुद्रपारीय संगठनों को अपने बारे में ऐसे समुद्रपारीय (ओवरसीज़) बैंक से, समुचित सावधानी बरतने के बाबत, प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा जो अपने देश में विनियामक (रेगुलेटर) द्वारा विनियमित हो और लागू वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (एफएटीएफ) के दिशानिर्देशों का पालन करता हो। समुचित सावधानी बरतने के बाबत, प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र में, यह उल्लेख हो कि (i) उधारदाता संस्था (ऐंटिटी) प्रमाणपत्रदाता बैंक में न्यूनतम विगत दो वर्षों से खाता रखे है, (ii) उधारदाता संस्था (एंटिटी) का गठन स्थानीय विधि के अधीन हुआ है और बिजनेस/स्थानीय समुदाय द्वारा उसे अच्छी प्रतिष्ठा वाली संस्था माना जाता है और (iii) उसके खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई लंबित नहीं है।

(ii) उधार देने वाले व्यक्ति को ऐसे समुद्रपारीय (ओवरसीज़) बैंक से, समुचित सावधानी बरतने के बाबत, अपने बारे में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा कि उधार देने वाले व्यक्ति का उसके पास न्यूनतम विगत दो वर्षों से खाता है। इसके अलावा खाते के संबंध में लेखापरीक्षित विवरण और आयकर विवरणी जैसे अन्य साक्ष्य/दस्तावेज भी समुद्रपारीय उधारदाता प्रस्तुत कर सकता है जिसे समुद्रपारीय बैंक द्वारा प्रमाणीकृत और अग्रेसित किया गया हो। जिन देशों के बैंकों से यह अपेक्षा नहीं है कि वे "अपने ग्राहक को जानने" से संबंधित दिशानिर्देशों का पालन करें, ऐसे देशों के उधार देने के इच्छुक व्यक्तियों द्वारा बाह्य वाणिज्यिक उधार दिए जाने की अनुमति नहीं होगी।

iii) राशि और परिपक्वता

(ए) एक वित्तीय वर्ष में बाह्य वाणिज्यिक उधार की अधिकतम राशि, जो होटल, अस्पताल और सॉफ्टवेयर क्षेत्र की उन कंपनियों से भिन्न और विविध सेवा क्षेत्र की कोई कंपनी उगाह सकती है, वह 750 मिलियन अमरीकी डालर है अथवा उसके समतुल्य राशि है।

(बी) सेवा क्षेत्र अर्थात होटलों, अस्पतालों और सॉफ्टवेयर क्षेत्र और विविध सेवा क्षेत्र की कंपनियों को अनुमत अंतिम उपयोगों के लिए विदेशी मुद्रा और/अथवा रुपया पूंजीगत व्यय करने के लिए एक वित्तीय वर्ष में 200 मिलियन अमरीकी डालर अथवा उसके समतुल्य राशि तक बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने की अनुमति दी गयी है । बाह्य वाणिज्यिक उधार की आगम राशि का उपयोग भूमि के अधिग्रहण के हेतु नहीं किया जाना चाहिए ।

(सी) माइक्रो फाइनेंस गतिविधियों में संलग्न एनजीओ और माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं एक वित्तीय वर्ष में 10 मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य राशि के बाह्य वाणिज्यिक उधार ले सकते हैं। नामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक ड्रा-डाउन के समय यह सुनिश्चित करें कि उधारकर्ता के विदेशी मुद्रा एक्स्पोज़र पूरी तरह हेज हों।

(डी) एनबीएफसी-आईएफसी अपनी स्वाधिकृत निधियों के 75% तक बाह्य वाणिज्यिक उधार(बाह्य वाणिज्यिक उधार की बकाया सहित) ले सकती हैं और उन्हें अपने करेंसी एक्स्पोज़र को 75% तक अवश्य हेज करना होगा।

(ई) एनबीएफसी-एएफसी प्रति वित्तीय वर्ष अपनी स्वाधिकृत निधियों के 75% तक किन्तु अधिकतम 200 मिलियन अमरीकी डालर अथवा उसके समतुल्य की सीमा के अधीन, पांच वर्ष की न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि वाले, बाह्य वाणिज्यिक उधार (बाह्य वाणिज्यिक उधार की बकाया सहित) ले सकती हैं और उन्हें पूरे करेंसी एक्स्पोज़र को हेज करना होगा।

(एफ) भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक (सिडबी) प्रति वित्तीय वर्ष बाह्य वाणिज्यिक उधार की बकाया सहित अपनी स्वाधिकृत निधियों के 50 प्रतिशत किन्तु 500 मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य राशि की उच्चतम सीमा के अधीन बाह्य वाणिज्यिक उधार ले सकता है।

(जी) 20 मिलियन अमरीकी डालर अथवा उसके समतुल्य तक बाह्य वाणिज्यिक उधार एक वित्तीय वर्ष में लिए जा सकते हैं जिनकी न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि 3 वर्ष हो। औसत परिपक्वता अवधि की गणना संबंधी उदाहरण अनुबंध VI में दिए गए हैं।

(एच) 20 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक अथवा उसके समतुल्य और 750 मिलियन अमरीकी डालर अथवा उसके समतुल्य तक के बाह्य वाणिज्यिक उधार लिए जा सकते हैं जिनकी न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि 5 वर्ष हो।

(आई) 20 मिलियन अमरीकी डालर अथवा उसके समतुल्य तक के बाह्य वाणिज्यिक उधार में काल/पुट आप्शन हो सकते हैं, बशर्ते काल/पुट आप्शन का प्रयोग करने से पूर्व न्यूनतम औसत 3 वर्षों की परिपक्वता अवधि संबंधी शर्त पूरी होती हो।

(जे) सभी पात्र उधारकर्ता मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार 'विदेशी ईक्विटी धारकों' से रुपए में नामित (मूल्यवर्गीकृत) बाह्य वाणिज्यिक उधार ले सकते हैं।

(के) माइक्रो फाइनेंस गतिविधियों में संलग्न एनजीओ को मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार समुद्रपारीय संगठनों तथा व्यक्तियों से रुपयों में नामित बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने की अनुमति दी गयी है।

iv) समग्र लागत सीमा

समग्र लागत में वायदा फीस, समयपूर्व चुकौती फीस और भारतीय रुपये में देय फीस के सिवाय ब्याज दर, विदेशी मुद्रा में अन्य फीस और खर्चे शामिल हैं। भारतीय रुपये में रोक रखे गए कर (withholding tax) के भुगतान को समग्र लागत की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए समग्र लागत की वर्तमान उच्चतम सीमा निम्नवत है :

औसत परिपक्वता अवधि	**छः माह तक के लाइबोर * से ऊपर समग्र लागत सीमा**
तीन वर्ष और पांच वर्ष तक	350 आधार बिंदु
पांच वर्ष से अधिक	500 आधार बिंदु

*उधार की संबंधित मुद्रा अथवा लागू बेंचमार्क के लिए

नियत (फिक्स्ड) दर वाले ऋणों के मामले में मार्जिन सहित स्वाप लागत, लागू मार्जिन सहित फ्लोटिंग दर के समतुल्य होनी चाहिए ।

v) अंतिम उपयोग

(ए) बाह्य वाणिज्यिक उधार पूंजीगत माल के आयात (विदेश व्यापार नीति में डीजीएफटी द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार), स्थावर संपत्ति (रियल) क्षेत्र - औद्योगिक क्षेत्र जिसमें लघु और मध्यम दर्जे के उपक्रम शामिल हैं और संरचनात्मक क्षेत्र एवं उपर्युक्त Iए(आई)(जे) में विनिर्दिष्ट सेवा क्षेत्र अर्थात होटल, अस्पताल और सॉफ्टवेयर क्षेत्र की नयी परियोजनाओं के क्रियान्वयन, मौज़ूदा उत्पादन इकाइयों के आधुनिकीकरण/विस्तार हेतु निवेश करने के लिए लिया जा सकता है। संरचनात्मक क्षेत्र की परिभाषा इस प्रकार की गई है - (ए) ऊर्जा जिसमें (i) विद्युत उत्पादन, (ii) विद्युत पारेषण, (iii) विद्युत वितरण, (iv) तेल पाइप लाइनें, (v) तेल/गैस/तरलीकृत प्राकृतिक गैस भंडारण सुविधा (कच्चे तेल के रणीनीतिक भंडारण सहित) और (vi) गैस पाइप लाइनें (नगर में गैस वितरण नेटवर्क सहित) शामिल हैं; (बी) संचार जिसमें (i) मोबाइल टेलीफोनी सर्विसेज़/सेल्युलर सेवाएं प्रदाता कंपनियां,(ii) फिक्स्ड नेटवर्क टेलीकम्युनिकेशन(आप्टिक फाइबर/केबल नेटवर्क जो ब्राडबैंड/इंटरनेट सेवा सहित) और (iii) टेलीकम्युनिकेशन टावर शामिल हैं; (सी) ट्रांस्पोर्ट जिसमें (i) रेलवे (रेलवे ट्रैक, टनॅल, वायाडक्ट, पुल और चढ़ाई/उतरायी टर्मिनल, स्टेशन जैसे सपोर्टिंग टर्मिनल एवं भवन इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल हैं); (ii) सड़क और पुल, (iii) बंदरगाह, (iv) अंत: देशीय जल मार्ग, (v) हवाई अड्डे, (vi) नगर सार्वजनिक परिवहन (ट्रांस्पोर्ट)(शहरी सड़क परिवहन के मामले में रोलिंग स्टाक को छोड़कर) शामिल हैं; (डी) जल एवं स्वच्छता जिसमें (i) जल आपूर्ति पाइप लाइनें, (ii) ठोस कचरे का प्रबंधन, (iii) जल शुद्धीकरण प्लांट, (iv) मल-जल निकासी परियोजनाएं (सीवेज़ संग्रहण, ट्रीटमेंट एवं निकासी प्रणाली), (v) सिचाई (बांध, चैनल्स, तटबंध, आदि) और (vi) स्टार्म वाटर (stormwater) निकासी प्रणाली शामिल हैं; (ई)(i) खनन, (ii) अन्वेषण और (iii) परिष्करण; (एफ) सामाजिक एवं वाणिज्यिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें (i) अस्पताल (कैपिटल स्टाक एवं मेडिकल कालेज तथा पैरा मेडिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सहित), (ii) होटल क्षेत्र जिसमें रु. 200 करोड़ एवं अधिक की स्थिर पूंजी निवेश वाले होटल, रु. 300 करोड़ एवं अधिक की स्थिर पूंजी निवेश वाले कन्वेंशन सेंटर तथा 1 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहरों से बाहर स्थित थ्री स्टार अथवा उच्चतर श्रेणी में वर्गीकृत होटल (भूमि के मूल्य से इतर स्थिर पूंजी निवेश), (iii) औद्योगिक पार्कों, एसईजेड, पर्यटन सुविधाओं के लिए साझा इंफ्रास्ट्रक्चर, (iv) उर्वरक (पूंजी निवेश), (v) कृषि एवं बागवानी उपज के लिए फसलोत्तर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें कोल्ड स्टोरेज़ शामिल हैं, (vi) मृदापरीक्षण प्रयोगशालाएं एवं (vii) कोल्ड चेन (कृषि और अनुषंगी उत्पादों, समुद्री उत्पादों और मांस के परिरक्षण अथवा स्टोरेज के लिए कृषि स्तर पर प्री-कुलिंग सहित कोल्ड स्टोरेज अथवा शीत गृह सुविधा सहित) शामिल हैं।

(बी) विदेश में संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में भारतीय प्रत्यक्ष निवेश के संबंध में वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धांतों के तहत संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश के लिए उपयोग किया जा सकता है।

(सी) बाह्य वाणिज्यिक उधारों की आगम राशि का उपयोग विनिवेश प्रक्रिया में शेयरों के पहले चरण के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम शेयरों के सरकार के विनिवेश कार्यक्रम के अंतर्गत जनता को ऑफर किए गए दूसरे चरण के अधिग्रहण के लिए भी किया जा सकता है।

(डी) इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की भारतीय कंपनियों के लिए आईडीसी को, जहाँ "इंफ्रास्ट्रक्चर" का अर्थ बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधी मौजूदा दिशानिर्देशों में परिभाषित है, ऐसी कंपनियों के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार का उपयोग आइडीसी की अदायगी के लिए होगा बशर्ते आईडीसी का पूंजीकरण हो और आईडीसी परियोजना लागत का हिस्सा हो।

(ई) स्वयं सहायता समूहों को उधार देने के लिए अथवा व्यष्टि(micro) ऋण के लिए अथवा व्यष्टि वित्तीय गतिविधियों में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों द्वारा क्षमता निर्माण सहित वास्तविक व्यष्टि वित्तीय गतिविधि के लिए।

(एफ) एनबीएफसी-आईएफसी बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति में यथा परिभाषित इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को आगे उधार देने के लिए ही बाह्य वाणिज्यिक उधार ले सकती हैं।

(जी) एनबीएफसी-एएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को लीज़ पर देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उपकरणों के आयात के वित्तपोषण के लिए ही बाह्य वाणिज्यिक उधार ले सकती हैं।

(एच) सड़कों और महामार्गों के लिए चुंगी प्रणाली के रखरखाव और परिचालन के लिए पूँजी व्यय हेतु बशर्ते वह मूल परियोजना का हिस्सा हो।

(आई) इससे सिडबी एमएसएमई क्षेत्र के ऐसे उधारकर्ताओं को अनुमत अंतिम उपयोगों के लिए (आगे) उधार दे सकता है जिनके पास विदेशी मुद्रा अर्जन का नेचुरल हेज उपलब्ध है। सिडबी (आगे) उधार या तो भारतीय रुपए में अथवा विदेशी मुद्रा में दे सकता है। यदि भारतीय रुपए में उधार दिया जाए तो विदेशी मुद्रा संबंधी पूरे जोखिम को सिडबी द्वारा हेज किया जाएगा।

(जे) इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की कंपनियों द्वारा पूंजीगत माल के आयात हेतु लिए गए ब्रिज फाइनेंस (क्रेता/आपूर्तिकर्ता द्वारा क्रेडिट सहित) के पुनर्वित्तपोषण के लिए।

(के) सेवाओं, तकनीकी जानकारी के आयात और लाइसेंस फीस के भुगतान के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने की अनुमति है। विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की कंपनियां कतिपय शर्तों के तहत पूंजीगत माल के आयात के भाग के रूप में सेवाओं, तकनीकी जानकारी का आयात और लाइसेंस फीस का भुगतान कर सकती हैं।

(एल) विनिर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर, होटल, अस्पताल और साफ्टवेयर क्षेत्र की कंपनियों द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी ईक्विटी होल्डरों से सामान्य कार्पोरेट प्रयोजनों के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार लेना: पात्र उधारकर्ता सामान्य कार्पोरेट प्रयोजनों (जिसमें कार्यशील पूंजी शामिल है) के लिए प्रत्यक्ष विदेशी ईक्विटी होल्डर कंपनियों से न्यूनतम औसत 7 वर्षों की परिपक्वता अवधि वाले बाह्य वाणिज्यिक उधार निम्नलिखित शर्तों के तहत ले सकते हैं:

i. उधारदाता प्रदत्त ईक्विटी के न्यूनतम 25 प्रतिशत का/की प्रत्यक्षत: धारक हो;

ii. ऐसे बाह्य वाणिज्यिक उधारों का उपयोग मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधी दिशानिर्देशों में अनुमत न किए गए प्रयोजनों (भारत में अपनी ग्रुप कंपनियों/स्टेपडाउन सहायक कंपनियों को आगे उधार देने) के लिए नहीं किया जा सकेगा; और मूलधन की अदायगी न्यूनतम औसत 7 वर्षों की परिपक्वता अवधि के बाद ही प्रारंभ की जा सकेगी;

iii. परिपक्वता पूर्व अदायगी(pre-payment) की अनुमति नहीं होगी।

vi स्पेक्ट्रम विनियोजन (आबंटन) के लिए भुगतान

(ए) 2जी स्पेक्ट्रम की पुनर्नीलामी के सफल बोली लगाने वालों (बिडर्स) के लिए छूट

(i) घरेलू उधारदाताओं से लिए गए रुपया ऋणों से प्रारंभिक भुगतान (upfront) करने और दीर्घावधि बाह्य वाणिज्यिक उधार ले कर ऐसे रुपया ऋणों का पुनर्वित्तपोषण करने हेतु बशर्ते ऐसे प्रयोजन के लिए घरेलू उधारदाताओं द्वारा स्वीकृत रुपया ऋणों की मंजूरी की तारीख से 18 माह के भीतर दीर्घावधि बाह्य वाणिज्यिक उधार लिए जाएं। (ii) उक्त प्रयोजन हेतु प्रारंभिक भुगतान (upfront payment) करने के लिए पूरक ऋण (bridge finance) के रूप में अल्पावधि विदेशी मुद्रा ऋण लेने और ऐसे ऋणों को दीर्घावधि बाह्य वाणिज्यिक उधार द्वारा प्रतिस्थापित करने हेतु बशर्ते पूरक ऋण के ड्रा-डाउन की तारीख से 18 माह के भीतर दीर्घावधि बाह्य वाणिज्यिक उधार लिए जाएं। (iii) उधारकर्ता अपनी मुख्य मूल (पैरेंट) कंपनी से बिना किसी अधिकतम ईसीबी–ईक्विटी अनुपात के बाह्य वाणिज्यिक उधार ले सकता है, बशर्ते उधारकर्ता कंपनी में उधारदाता न्यूनतम 25% प्रदत्त ईक्विटी अनुपात, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में, धारण (होल्ड) किए हो। (iv) ऐसे बाह्य वाणिज्यिक उधार भारतीय बैंकों की समुद्रपारीय शाखाओं/सहायक कंपनियों से नहीं लिए जा सकेंगे।

vii) अंतिम उपयोग अनुमत नहीं

उपर्युक्त में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न, उधार राशि का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों सहित किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा, अर्थात:

(ए) किसी कंपनी द्वारा भारत में आगे उधार देने अथवा पूंजी बाज़ार में निवेश अथवा किसी कंपनी (उसके किसी हिस्से का) के अधिग्रहण के लिए [विशेष प्रयोजन संस्था (एसपीवीएस), मुद्रा बाजार(मनी मार्केट) म्युच्युअल फंड (एमएमएमएफएस), आदि में निवेश पूंजी बाजारों में निवेश के रूप में समझे जाते हैं]।

(बी) स्थावर संपदा क्षेत्र के लिए।

(सी) कार्यशील पूंजी सहित सामान्य कारपोरेट प्रयोजनों (उक्त I(ए)(v)(एल) में किए गए उल्लेख से इतर) और वर्तमान रुपया ऋणों की चुकौती के लिए।

नोट: बाह्य वाणिज्यिक उधार की आगम राशि का उपयोग भूमि के अधिग्रहण के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

viii) गारंटी

बाह्य वाणिज्यिक उधार के संबंध में भारत से बैंक, वित्तीय संस्थाओं और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा गारंटी, आपाती साखपत्र, वचन पत्र अथवा लेटर ऑफ कंफर्ट जारी करने की अनुमति नहीं है।

ix) ज़मानत

उधारदाता/आपूर्तिकर्ता को दी जाने वाली ज़मानत के विकल्प का चुनाव उधारकर्ता पर छोड़ दिया गया है। तथापि, समुद्रपारीय उधारदाता के पक्ष में अचल परिसंपत्तियों और शेयर जैसी वित्तीय प्रतिभूतियों पर प्रभार का सृजन, समय-समय पर यथासंशोधित क्रमशः 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.21/ आरबी-2000 के विनियम 8 और 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.20/आरबी-2000 के विनियम 3 के अधीन है। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंकों को उधारकर्ता द्वारा उठाये जानेवाले बाह्य वाणिज्यिक उधार सुरक्षित करने हेतु अचल परिसंपत्तियों, वित्तीय प्रतिभूतियों पर प्रभार का सृजन करने और समुद्रपारीय उधारदाता/सिक्यूरिटी ट्रस्टी के पक्ष में कार्पोरेट अथवा व्यक्तिगत गारंटी जारी करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा),1999 के तहत `आपत्ति नहीं ' जारी करने के लिए प्राधिकार दिये गये हैं।

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा),1999 के तहत `अनापत्ति' प्रदान करने से पहले, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए और संतुष्ट होना चाहिए कि (i)निहित बाह्य वाणिज्यिक उधार मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करते हैं, (ii) अचल परिसंपत्तियों/ वित्तीय प्रतिभूतियों पर प्रभार सृजित करने/कार्पोरेट अथवा व्यक्तिगत गारंटी प्रस्तुत करने के लिए उधारकर्ता को आवश्यक ऋण करार में जमानत संबंधी खंड मौजूद है, (iii) ऋण करार पर उधारदाता और उधारकर्ता दोनों द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं, और (iv) उधारकर्ता ने रिज़र्व बैंक से ऋण पंजीकरण नंबर(एलआरएन) प्राप्त किया है।

उपर्युक्त शर्तों का पालन होने पर, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक अचल परिसंपत्तियों, वित्तीय प्रतिभूतियों पर प्रभार सृजित करने और कार्पोरेट अथवा व्यक्तिगत गारंटी जारी करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा),1999 के तहत निम्नलिखित शर्तों पर `आपत्ति नहीं ' सूचित कर सकते हैं:

ए) अचल परिसंपत्तियों पर प्रभार सृजित करने के लिए या तो उधारदाता अथवा सिक्यूरिटी ट्रस्टी के पक्ष में विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा),1999 के तहत निम्नलिखित शर्तों पर 'आपत्ति नहीं ' सूचित कर सकते हैं :

(i) ' आपत्ति नहीं ' प्रमाणपत्र केवल निवासी बाह्य वाणिज्यिक उधार उधारकर्ता को ही प्रदान किया जाएगा ।

(ii) अचल परिसंपत्तियों पर इस प्रकार के प्रभार की अवधि निहित बाह्य वाणिज्यिक उधार की

परिपक्वता अवधि के समान होनी चाहिए।

(iii) इस `आपत्ति नहीं ' का यह अर्थ न लिया जाए कि इससे समुद्रपारीय उधारदाता/ सिक्यूरिटी ट्रस्टी द्वारा भारत में अचल परिसंपत्ति (प्रॉपर्टी) के अधिग्रहण के लिए अनुमति मिल गयी है।

(iv) ऋण प्रभार के प्रवर्तन/लागू करने की स्थिति में अचल परिसंपत्ति (प्रॉपर्टी) भारत में किसी निवासी व्यक्ति को ही बेची जानी चाहिए और बिक्री आगम की राशि बकाया बाह्य वाणिज्यिक उधार के परिसमापन के लिए प्रत्यावर्तित की जानी चाहिए।

बी) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक बाह्य वाणिज्यिक उधार लेना सुरक्षित करने के लिए प्रवर्तकों द्वारा धारित उधारकर्ता कंपनी के साथ ही साथ उधारकर्ता की स्वदेशी सहायक कंपनियों में धारित शेयर गिरवी रखने के लिए निवासी बाह्य वाणिज्यिक उधारकर्ता को विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा),1999 के तहत निम्नलिखित शर्तों पर `आपत्ति नहीं ' सूचित कर सकते हैं :

(i) इस प्रकार के गिरवी की अवधि निहित बाह्य वाणिज्यिक उधार की परिपक्वता अवधि के समान होनी चाहिए।

(ii) गिरवी लागू करने की स्थिति में, अंतरण वर्तमान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के अनुसार होना चाहिए।

(iii) कंपनी के सांविधिक लेखा-परीक्षक से एक प्रमाणपत्र कि बाह्य वाणिज्यिक उधार की आगम राशि का उपयोग अनुमत अंतिम उपयोग/उपयोगों के लिए किया गया है/किया जाएगा।

सी) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा),1999 के तहत कंपनी अथवा व्यक्तिगत गारंटी जारी करने के लिए निवासी बाह्य वाणिज्यिक उधार के उधारकर्ता को `अनापत्ति' निम्नलिखित को प्राप्त करने पर सूचित कर सकते हैं :

(i) इस प्रकार की गारंटी जारीकर्ता कंपनी से कंपनी को गारंटी जारी किये जाने के लिए कंपनी की ओर से अथवा किसी व्यक्तिगत क्षमता में इस प्रकार की गारंटी निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम दर्शाते हुए बोर्ड का प्रस्ताव।

(ii) बाह्य वाणिज्यिक उधार के ब्योरे दर्शाते हुए वैयक्तिक गारंटी जारी करने के लिए व्यक्तियों से प्राप्त विशेष अनुरोध पर।

(iii) यह सुनिश्चित करते हुए कि कंपनी अथवा वैयक्तिक गारंटी की अवधि निहित बाह्य वाणिज्यिक उधार की परिपक्वता की अवधि एक समान होनी चाहिए।

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - । बैंक अनिवार्य रूप से यह स्पष्ट करें कि `अनापत्ति' विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा),1999 के प्रावधानों के तहत विदेशी मुद्रा के दृष्टिकोण से जारी की जाती है और उसका अर्थ किसी अन्य नियम/विनियम के तहत किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी अथवा सरकार द्वारा किसी अनुमोदन के रूप

में नहीं लगाना चाहिए । यदि संबंधित नियमों/विनियमों के तहत किसी अन्य नियामक/सांविधिक प्राधिकारी अथवा सरकार से आगे कोई अनुमोदन अथवा अनुमति अपेक्षित है तो आवेदक को लेनदेन करने से पहले संबंधित प्राधिकारी का अनुमोदन लेना चाहिए । इसके अलावा, `आपत्ति नहीं ' का यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि यह फेमा अथवा किसी अन्य नियमों अथवा विनियमों के प्रावधानों के तहत किन्हीं अनियमितताओं, उल्लंघन अथवा अन्य गलतियों को नियमित अथवा वैध करने का एक उपाय है ।

x) बाह्य वाणिज्यिक उधार की आगम राशि की पार्किंग

उधारकर्ताओं को बाह्य वाणिज्यिक उधार की आगम राशि को अनुमत अंतिम-उपयोग करने तक या तो विदेश में रखने अथवा भारत में विप्रेषित करने के लिए अनुमति दी गयी है ।

ए) बाह्य वाणिज्यिक उधार की आगम राशि को विदेशों में रखना (पार्किंग): ये निधियां अग्रलिखित चल परिसंपत्तियों में निवेश की जा सकती हैं: (ए) स्टैंडर्ड ऐण्ड पुअर/ फिच आइबीसीए द्वारा कम से कम AA(-) अथवा मूडीज़ द्वारा कम से कम Aa3 रेटिंग प्राप्त बैंकों द्वारा प्रस्तावित जमाराशियों अथवा जमा प्रमाणपत्रों अथवा अन्य उत्पादों (लिखत); (बी) कम से कम उपर्युक्त रेटिंग वाले एक वर्ष की परिपक्वता अवधि वाले खज़ाना बिल और मौद्रिक लिखत और (सी) विदेश में भारतीय बैंकों की समुद्रापारीय शाखाओं/सहायक कंपनियों के पास जमाराशियों के रूप में। निधियों का निवेश इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि भारत में उधारकर्ता को जब भी निधियों की आवश्यकता महसूस हो, तब निवेश परिसमाप्त किया जा सके।

बी) भारत में रुपया व्यय के लिए विदेश/शों से लिए गए बाह्य वाणिज्यिक उधार की आगम राशि: भारत में रुपया व्यय जैसे, पूंजीगत माल को स्थानीय स्तर पर जुटाने, स्वयं सहायता समूहों अथवा माइक्रो क्रेडिट के लिए ऋण देने, स्पैक्ट्रम आबंटन के भुगतान करने, घरेलू बैंकों से लिए गए रुपया ऋणों की अदायगी करने, आदि के लिए विदेश से लिए गए बाह्य वाणिज्यिक उधारों की आगम राशि भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों के पास रखे रुपया खाते में जमा करने हेतु तत्काल प्रत्यावर्तित की जाए। बाह्य वाणिज्यिक उधार की आगम राशि का उपयोग होने तक बाह्य वाणिज्यिक उधार कर्ताओं को उसे कतिपय शर्तों के तहत प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों के पास अधिकतम छह माह के लिए मीयादी जमा के रूप में रखने की अनुमति भी दी गई है। तथापि, इन रुपया निधियों का पूँजी बाजारों, स्थावर संपदा में निवेश करने अथवा इंटर-कार्पोरेट उधार के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। यह सुनिश्चित करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व संबंधित उधारकर्ता का है कि भारत में रुपया व्यय हेतु लिए गए बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी) की आगम राशि भारत प्रत्यावर्तित की जाती है और बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) लेने संबंधी दिशानिर्देशों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा तथा ऐसा करना विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के तहत दण्डात्मक कार्रवाई को आमंत्रित कर सकता है। नामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना भी अपेक्षित है कि रुपया व्यय के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी) की आगम राशि प्राप्त होने पर (drawdown) तत्काल भारत प्रत्यावर्तित की जाती है।

xi) समयपूर्व भुगतान

प्राधिकृत व्यापारी बैंक 500 मिलियन अमरीकी डॉलर तक के बाह्य वाणिज्यिक उधार के समयपूर्व भुगतान की अनुमति भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बगैर दे सकते हैं बशर्ते ऋण पर यथालागू न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि का अनुपालन किया जाता है।

xii) मौज़ूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार का पुनर्वित्तपोषण

मौज़ूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार चाहे स्वचालित मार्ग से लिया गया हो या अनुमोदन मार्ग से, उसका पुनर्वित्तपोषण नये बाह्य वाणिज्यिक उधार उगाहते हुए किया जा सकता है, बशर्ते नया बाह्य वाणिज्यिक उधार कम समग्र लागत पर उगाहा जाए और मूल बाह्य वाणिज्यिक उधार की शेष परिपक्वता अवधि घटायी न जाए (अर्थात मौज़ूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार की बाकाया अवधि या तो बरकार रखी जाए अथवा बढ़ाई जाए) तथा नए मौज़ूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने की अनुमति स्वचालित मार्ग के अंतर्गत आती हो। इसके अलावा ऐसे बाह्य वाणिज्यिक उधार भारतीय बैंकों की समुद्रपारीय शाखाओं/सहायक कंपनियों से लेने की अनुमति नहीं है।

xiii) कर्ज का भुगतान

सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा, समय-समय पर, जारी बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार नामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक को मूल धन, ब्याज तथा अन्य प्रभारों की किस्त के विप्रेषण करने की सामान्य अनुमति है।

xiv) जांच के अधीन कारपोरेट

सभी एंटिटीज जिनके विरुद्ध कानून लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा जाँच/न्याय निर्णय/ अपील लंबित है, वे, जाँच/न्याय निर्णय/अपील लंबित होने के बावजूद तथा ऐसी जाँच/न्याय निर्णय/अपील के परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मौजूदा मानदंडों के अनुसार अन्यथा पात्र होने पर बाह्य वाणिज्यिक उधार ले सकती हैं। तदनुसार, ऐसे सभी आवेदन, जहाँ उधारकर्ता कंपनी ने जाँच/न्याय निर्णय/अपील के लंबित होने/अनिर्णय के बारे में उल्लेख किया हो, वहाँ प्राधिकृत व्यापारी प्रस्ताव अनुमोदित करते समय अनुमोदन पत्र की प्रति संबंधित एजेंसियों को परांकित करते हुए उसकी सूचना देंगे।

xv) क्रियाविधि

स्वतः अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत बाह्य वाणिज्यिक उधार उगाहने के लिए उधारकर्ता भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना ही, बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए मान्यता प्राप्त उधारदाता के साथ कर्ज लेने का करार कर सकता है। बाह्य वाणिज्यिक उधार का आहरण(ड्रॉइंग डाउन) करने से पहले उधारकर्ता भारतीय रिज़र्व बैंक से ऋण पंजीकरण संख्या प्राप्त करें। ऋण पंजीकरण संख्या प्राप्त करने की क्रियाविधि पैरा X (i)(बी) में विस्तृत रूप से दी गई है।

I.(बी) अनुमोदन मार्ग

i) पात्र उधारकर्ता

अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत बाह्य वाणिज्यिक उधार के निम्नलिखित किस्म के प्रस्ताव शामिल हैं।

ए) विशिष्ट प्रयोजनों के लिए एक्ज़िम बैंक द्वारा आगे उधार देने संबंधी मामले-दर-मामले पर विचार किया जाएगा ।

बी) सरकार के अनुमोदन के अनुसार टेक्स्टाइल अथवा स्टील क्षेत्र की पुनर्संरचना पैकेज में सहभागी बैंक और वित्तीय संस्थाओं को भी पैकेज में उनके निवेश की सीमा तक और विवेकपूर्ण मानदंडों के आधार पर

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारण के अनुसार अनुमति दी जाती है। इस प्रयोजन के लिए अब तक लिया गया कोई भी बाह्य वाणिज्यिक उधार उनकी पात्रता राशि में से काट लिया/ घटा दिया जायेगा ।

सी) संरचनात्मक परियोजनाओं को पट्टे पर देने के लिए संरचनात्मक उपकरणों के आयात के वित्तपोषण हेतु बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं, प्रतिष्ठित क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाओं, आधिकारिक निर्यात ऋण एजेंसियों और अंतरराष्ट्रीय बैंकों से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा 5 वर्ष की न्यूनतम औसत परिपक्वता वाले बाह्य वाणिज्यिक उधार।

डी) एनबीएफसी-आईएफसी को ईसीबी नीति में यथा परिभाषित इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को आगे उधार देने के लिए अपनी स्वाधिकृत निधियों के 75% से ऊपर (बाहृय वाणिज्यिक उधार की बकाया सहित) बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने की अनुमति अनुमति दी जाती है।

ई) इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को लीज़ पर देने के लिए उपकरणों के आयात के वित्तपोषण हेतु एनबीएफसी-एएफसी को अपनी स्वाधिकृत निधियों के 75% से ऊपर (बाह्य वाणिज्यिक उधार की बकाया सहित) बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने की अनुमति दी जाती है।

एफ) निम्नलिखित न्यूनतम मानदंडों को पूरा करनेवाली आवास वित्त कंपनियों द्वारा विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड : (i) पिछले तीन वर्षों के दौरान वित्तीय मध्यस्थ (बिचौलिए) की न्यूनतम निवल मालियत 500 करोड़ रुपए से कम नहीं होनी चाहिए, (ii) मुंबई शेयर बाज़ार अथवा राष्ट्रीय शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध हो, (iii) विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड का न्यूनतम आकार 100 मिलियन अमरीकी डॉलर हो, (iv) आवेदक निधियों के उपयोग का प्रयोजन/ योजना प्रस्तुत करें।

जी) विशेष प्रयोजन के माध्यम अथवा विशेष रूप से संरचनात्मक कंपनियों/परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु संस्थापित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित कोई अन्य संस्था वित्तीय संस्था मानी जायेगी और ऐसी संस्थाओं द्वारा बाह्य वाणिज्यिक उधार अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत माना जायेगा।

एच) निम्नलिखित मानदंड पूरे करनेवाली विनिर्माण कार्य में लगी बहुराज्य सहकारी समिति जो कि i) वित्तीय रूप से शोधक्षम है और ii) और अपना लेखापरीक्षित अद्यतन तुलनपत्र प्रस्तुत करने वाली सहकारी समिति है।

आई) विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासकर्ता (डेवलपर) विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर इंफ्रास्ट्रक्चर (उपर्युक्त 1(ए)(v)(ए) में यथा वर्णित इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र) सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार ले सकते हैं।

जे) राष्ट्रीय विनिर्माण निवेश जोन (NMIZ) विकासकर्ता (डेवलपर) विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर इंफ्रास्ट्रक्चर (उपर्युक्त 1(ए)(v)(ए) में यथा वर्णित इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र) सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार ले सकते हैं।

के) सेवा क्षेत्र के कार्पोरेट यथा होटल, अस्पताल तथा सॉफ्टवेयर एवं विविध सेवा क्षेत्र के कार्पोरेट से भिन्न, स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत पात्र उधारकर्ता प्रति वित्तीय वर्ष 750 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक अथवा उसके समतुल्य के बाह्य वाणिज्यिक उधार ले सकते हैं ।

एल) सेवा क्षेत्र के कार्पोरेट यथा होटल, अस्पताल तथा सॉफ्टवेयर क्षेत्र एवं विविध सेवा क्षेत्र (उपर्युक्त 1(ए)(v)(जे) में यथा वर्णित) के कार्पोरेट से भिन्न कार्पोरेट, प्रति वित्तीय वर्ष 200 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक अथवा उसके समतुल्य के बाह्य वाणिज्यिक उधार ले सकते हैं। विविध सेवा क्षेत्र के कार्पोरेट को केवल प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष ईक्विटी धारकों और ग्रुप कंपनियों से बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने की अनुमति है।

एम) माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास (MSMED) अधिनियम, 2006 में यथा परिभाषित एमएसएमई क्षेत्र को उधार देने के लिए भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक (सिडबी) अपनी स्वाधिकृत निधियों के 50% से ऊपर, किन्तु प्रति वित्तीय वर्ष 500 मिलियन अमरीकी डालर की उच्चतम सीमा के अधीन, बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने का पात्र है बशर्ते सिडबी द्वारा आगे इससे उधार अनुमत अंतिम उपयोग के लिए उन उधारकर्ताओं को दिया जा सकेगा जिन्हें विदेशी मुद्रा अर्जन द्वारा नेचुरल हेज उपलब्ध है। सिडबी उक्त राशि से भारतीय रुपए अथवा विदेशी मुद्रा में आगे उधार दे सकता है। यदि आगे उधार भारतीय रुपए में दिया जाता है तो पूरी राशि सिडबी द्वारा हेज की जाएगी।

एन) कम लागत वाली सस्ती आवास परियोजनाएं: डेवलपर्स/बिल्डर्स/आवास वित्त कंपनियां/ राष्ट्रीय आवास बैंक कम लागत वाली सस्ती आवास परियोजनाओं के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार ले सकते हैं (देखें उक्त पैरा 1(बी)(vii)।

ओ) जाँच के अधीन कंपनियां (Corporates): कानून लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा जाँच/ न्याय निर्णय/अपील के लंबित होने के बावजूद तथा ऐसी जाँच/न्याय निर्णय/ अपील के परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मौजूदा मानदंडों के अनुसार, यदि वे अन्यथा पात्र हैं, बाह्य वाणिज्यिक उधार ले सकती हैं। तदनुसार, ऐसे सभी आवेदन, जहाँ उधारकर्ता कंपनी ने जाँच/न्याय निर्णय/अपील के लंबित होने के बारे में उल्लेख किया हो, वहाँ भारतीय रिज़र्व बैंक प्रस्ताव अनुमोदित करते समय अनुमोदन पत्र की प्रति संबंधित एजेंसियों को परांकित करते हुए उसकी सूचना देगा।

पी) रिज़र्व बैंक के विनियामक फ्रेमवर्क में आने वाली होल्डिंग कंपनियों/कोर निवेश कंपनियों को स्पेशल पर्पज वेहिकल (SPV) के तहत प्रोजेक्ट में उपयोग के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने की अनुमति है, बशर्ते एसपीवी की कारोबारी गतिविधि इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की हो जहां 'इंफ्रास्ट्रक्चर' शब्द की परिभाषा वही है जो वर्तमान बाह्य वाणिज्यिक उधार दिशानिर्देशों में है। परियोजना को लागू करने के लिए विशेष रूप से स्थापित एसपीवी (SPV) द्वारा, विनिर्दिष्ट शर्तों के तहत, इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना को कार्यान्वित करना अपेक्षित है। रिज़र्व बैंक के कोर निवेशक कंपनी संबंधी विनियामक फ्रेमवर्क के तहत आने वाली होल्डिंग कंपनियों के मामले में, लिए गए बाह्य वाणिज्यिक उधार कोर निवेश कंपनियों के लिए विनिर्दिष्ट लीवरेज की उच्चतम सीमा के भीतर होने चाहिए एवं 100 करोड़ रुपए से कम की परिसंपत्तियों वाली कोर निवेश कंपनियों के मामले में, लिए गए बाह्य वाणिज्यिक उधार पूरी तरह हेज आधारित होने चाहिए।

क्यू) स्वचालित मार्ग सीमा और परिपक्वता अवधि के दायरे से बाहर रहने वाले मामले पैराग्राफ 1ए(iii) में दिए गए हैं।

ii) **मान्यता प्राप्त उधारदाता**

(ए) उधारकर्ता अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त स्रोतों, जैसे (i) अंतर्राष्ट्रीय बैंकों, (ii) अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाज़ारों, (iii) बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं (जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्त कंपनी(IFC), एशियाई विकास बैंक, सीडीसी, आदि),/क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाओं और सरकारी स्वामित्व वाली विकास वित्तीय संस्थाओं (iv) निर्यात ऋण एजेंसियों, (v) उपकरणों के आपूर्तिकर्ताओं, (vi) विदेशी सहयोगियों और (vii) विदेशी ईक्विटी धारकों (पूर्ववर्ती विदेशी कंपनी निकायों से इतर) से बाह्य वाणिज्यिक उधार ले सकते हैं। घरेलू बैंकिंग प्रणाली से लिए गए ऋणों की अदायगी/रुपया वित्तपोषण के रूप में अंतिम उपयोग के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति के अंतर्गत किसी भी योजना के तहत भारतीय बैंकों की समुद्रपारीय शाखाओं/सहायक कंपनियों को मान्यता प्राप्त उधारदाता नहीं माना जाता है।

(बी) अनुमोदित मार्ग के तहत 'मान्यताप्राप्त उधारदाता' के रूप में पात्र समझे जाने के लिये 'विदेशी ईक्विटी धारक' की उधारकर्ता कंपनी में चुकता (paid) ईक्विटी की न्यूनतम धारिता नीचे दिये गये विनिर्देशानुसार होनी चाहिए:

(i) 5 मिलियन अमरीकी डॉलर तक बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए – उधारदाता द्वारा न्यूनतम 25 प्रतिशत चुकता ईक्विटी का प्रत्यक्ष/सीधे धारण (प्रस्तावति बाह्य वाणिज्यिक उधार सहित समस्त बकाया बाह्य वाणिज्यिक उधार);

(ii) 5 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए – उधारदाता द्वारा न्यूनतम 25 प्रतिशत चुकता ईक्विटी का प्रत्यक्ष/सीधे धारण तथा ऋण-ईक्विटी अनुपात 7:1 से अधिक न हो (प्रस्तावति बाह्य वाणिज्यिक उधार सहित समस्त बकाया बाह्य वाणिज्यिक उधार) ;

(सी) अप्रत्यक्ष ईक्विटी धारकों से बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने पर विचार किया जा सकता है बशर्ते उधारदाता भारतीय कंपनी में अप्रत्यक्ष ईक्विटी के कम से कम 51% का धारक हो;

(डी) ग्रुप कंपनी से भी बाह्य वाणिज्यिक उधार की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते उधारकर्ता और विदेशी उधारदाता एक ही मूल/पितृ कंपनी की सहायक कंपनियाँ हों।

बाह्य वाणिज्यिक उधार देयता – ईक्विटी अनुपात के अनुसार चुकता पूंजी के अलावा, नवीनतम लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार मुक्त आरक्षित निधि (विदेशी मुद्रा में प्राप्त शेयर प्रीमियम सहित) के आकलन हेतु विदेशी ईक्विटी धारक की ईक्विटी की गणना के लिए हिसाब में लिया जाएगा। जहाँ उधार लेने वाली कंपनी में एक से अधिक विदेशी ईक्विटी धारक हैं, वहाँ संबंधित उधारदाता(ओं) द्वारा विदेशी मुद्रा में लाए गए शेयर प्रीमियम के अंश ही अनुमत बाह्य वाणिज्यिक उधार राशि की गणना के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार देयता-ईक्विटी अनुपात हेतु शामिल किए जाएंगे ।

बाह्य वाणिज्यिक उधार देयता की गणना के लिए न केवल प्रस्तावित उधार को हिसाब में लिया जाएगा बल्कि उसी विदेशी ईक्विटी धारक उधारदाता से लिए गए बाह्य वाणिज्यिक उधार की बकाया राशि भी शामिल की जाएगी।

विदेशी ईक्विटी उधारदाता से (प्रस्तावित बाह्य वाणिज्यिक उधार की राशि सहित) बाह्य वाणिज्यिक उधार की बकाया रकम उधारदाता की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से ईक्विटी धारण के 7 गुने से अधिक न हो (ग्रुप कंपनी के मामले में एक ही मूल (पितृ) कंपनी द्वारा धारण की गई ईक्विटी शामिल की जाएगी)।

iii) राशि और परिपक्वता अवधि

सेवा क्षेत्र के कार्पोरेट यथा होटल, अस्पताल, सॉफ्टवेयर क्षेत्र तथा विविध सेवा क्षेत्र की कंपनियों से भिन्न पात्र उधारकर्ता स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत लिए जाने वाले प्रति वित्तीय वर्ष 750 मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य से अधिक के बाह्य वाणिज्यिक उधार अनुमोदन मार्ग से ले सकते हैं। सेवा क्षेत्र के कार्पोरेट यथा होटल, अस्पताल, सॉफ्टवेयर क्षेत्र तथा विविध सेवा क्षेत्र की कंपनियों को अनुमत अंतिम उपयोग के लिए विदेशी मुद्रा और/या रुपया पूंजी व्यय संबंधी अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए एक वित्तीय वर्ष में 200 मिलियन अमरीकी डॉलर या उसके समतुल्य से अधिक के बाह्य वाणिज्यिक उधार अनुमोदन मार्ग से लेने की अनुमति दी जा सकती है। बाह्य वाणिज्यिक उधार के तहत ली गयी राशि का उपयोग भूमि के अर्जन के लिए नहीं किया जाना चाहिए ।

औसत परिपक्वता अवधि की गणना का उदाहरण अनुबंध VI में दिया गया है ।

बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार सभी पात्र उधारकर्ता भारतीय रुपए में मूल्यवर्गीकृत बाह्य वाणिज्यिक उधार मान्यताप्राप्त उधारदताओं से प्राप्त कर सकते हैं।

iv) समग्र लागत सीमाएं

समग्र लागत सीमा में ब्याज दर, विदेशी मुद्रा में वायदा (प्रतिबद्धता) फीस के सिवाय अन्य फीस और खर्चे, समयपूर्व चुकौती फीस और भारतीय रुपए में देय फीस शामिल हैं। कर भुगतान के लिए भारतीय रुपये में राशि रोक रखने को समग्र लागत की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए मौजूदा समग्र लागत सीमा इस प्रकार है:

औसत परिपक्वता अवधि	**छः माह तक के लंदन अंतर-बैंक प्रस्तावित दर* से ऊपर समग्र लागत सीमा**
तीन वर्ष और पाँच वर्ष तक	350 आधार बिंदु
पाँच वर्ष से अधिक	500 आधार बिंदु

*उधार की संबंधित करेंसी अथवा लागू बेंचमार्क के लिए।

नियत दर कर्जों के मामले में, स्वैप लागत और मार्जिन, अस्थिर दर और लागू मार्जिन के समतुल्य होगी ।

v) अंतिम उपयोग

(ए) बाह्य वाणिज्यिक उधार की उगाही, भारत में केवल स्थावर संपदा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, जिसमें लघु और मध्यम दर्जे के उद्यम शामिल हैं और संरचनात्मक क्षेत्र में निवेश के लिए [जैसे, पूंजीगत माल का आयात (विदेश व्यापार नीति में डीजीएफटी द्वारा यथावर्गीकृत) , नयी परियोजनाओं के कार्यान्वयन, मौज़ूदा उत्पादन इकाइयों के आधुनिकीकरण/विस्तार], की जा सकती है। संरचनात्मक क्षेत्र उपर्युक्त I.ए(v)(ए) में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(बी) विदेश स्थित संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में भारतीय प्रत्यक्ष निवेश के संबंध में वर्तमान दिशानिर्देशों के अधीन संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश।

(सी) इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की भारतीय कंपनियों के लिए विनिर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी) की अदायगी हेतु, जहाँ "इंफ्रास्ट्रक्चर" बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधी मौजूदा दिशानिर्देशों में परिभाषित है, बशर्ते आईडीसी का पूंजीकरण हो और आईडीसी परियोजना लागत का हिस्सा हो

(डी) दूर संचार क्षेत्र में, स्पेक्ट्रम एलोकेशन के लिए सफल बोली लगाने वाले, पात्र उधारकर्ताओं द्वारा, प्रारंभिक रूप से, भुगतान रुपया स्त्रोतों से किया जाएगा जिसे अनुमोदन मार्ग के तहत, दीर्घावधि बाह्य वाणिज्यिक उधार से, निम्नलिखित शर्तों पर, पुनर्वित्तपोषति किया जा सकता है:

(i) सरकार को अंतिम किस्त के भुगतान की तारीख से 12 महीनों के भीतर बाह्य वाणिज्यिक उधार लिया जाना चाहिए;

(ii) नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - । बैंक को निधियों के अंतिम उपयोग पर निगरानी रखनी चाहिए;

(iii) भारत में स्थित बैंकों को किसी भी रूप में गारंटी देने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी;

(iv) भारतीय बैंकों की समुद्रपारीय शाखाओं/सहायक कंपनियों से बाह्य वाणिज्यिक उधार नहीं लिया जाना चाहिए; और

(v) पात्र उधारकर्ता, मान्यताप्राप्त उधारदाता, समग्र लागत सीमा, औसत परिपक्वता अवधि जैसी बाह्य वाणिज्यिक उधार की सभी अन्य शर्तों का पालन किया जाना चाहिए।

(ई) बाह्य वाणिज्यिक उधार की आगम राशि का उपयोग सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों के सरकार के विनिवेश कार्यक्रम के तहत विनिवेश प्रक्रिया के प्रथम चरण के साथ-साथ जनता को किए गए अनुवर्ती चरणों के प्रस्तावों के अंतर्गत शेयरों के अर्जन के लिए किया जा सकता है।

(एफ) घरेलू बैंकिंग प्रणाली से लिए गए रुपया ऋण/ऋणों की चुकौती (का पुनर्वित्तपोषण)

बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधी वर्तमान दिशानिर्देशों में यथा परिभाषित 'इंफ्रास्ट्रक्चर' क्षेत्र के तहत आनेवाली भारतीय कंपनियों (ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों को छोड़कर) द्वारा, लिये गये नये बाह्य वाणिज्यिक उधार का 25 प्रतिशत अंश घरेलू बैंकिंग प्रणाली से लिए गए रुपया ऋण/ऋणों के पुनर्वित्त के लिए उपयोग करने की अनुमति, निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत, प्रदान की जाती है :

(i) लिये जाने वाले प्रस्तावित नये बाह्य वाणिज्यिक उधार का कम से कम 75% भाग 'नई इंफ्रास्ट्रक्चर' परियोजना/परियोजनाओं' के पूंजी व्यय के लिए उपयोग किया जाना चाहिए;

(ii) शेष 25% राशि का उपयोग उन इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना/ परियोजनाओं के 'पूंजी व्यय' के लिए, लिए गए रुपया ऋण की अदायगी के पुनर्वित्त के लिए उपयोग किया जा सकेगा जो पहले से पूर्ण हो चुकी है; और

(iii) पुनर्वित्त सुविधा का उपयोग केवल उन रुपया ऋणों के लिए किया जाएगा जो संबंधित वित्तीय सहायता देनेवाले बैंक की बहियों में बकाया दर्ज हैं।

(iv) भारतीय बैंकों की समुद्रपारीय शाखाओं/सहायक कंपनियों से बाह्य वाणिज्यिक उधार नहीं लिया जाना चाहिए।

उर्जा क्षेत्र की कंपनियों द्वारा लिये गये नये बाह्य वाणिज्यिक उधार का 40 प्रतिशत अंश घरेलू बैंकिंग प्रणाली से लिए गए रुपया ऋण/ऋणों के पुनर्वित्त के लिए उपयोग करने की अनुमति, इस शर्त के अंतर्गत प्रदान की जाती है कि लिये जानेवाले प्रस्तावित नये बाह्य वाणिज्यिक उधार का कम से कम 60% भाग इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना/परियोजनाओं के नए पूंजी व्यय के लिए उपयोग किया जाना चाहिए।

(जी) सेवाओं, तकनीकी जानकारी के आयात और लाइसेंस फीस के भुगतान हेतु बाह्य वाणिज्यिक उधार का उपयोग किया जा सकता है। मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की कंपनियां कतिपय दशाओं में सेवाओं, तकनीकी जानकारी के आयात एवं लाइसेंस फीस के भुगतान पूंजीगत माल के आयात के भाग के रूप में कर सकती हैं।

एच) **तात्कालिक वित्त (ब्रिज फाइनेंस)** : मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति में यथा परिभाषित 'इंफ्रास्ट्रक्चर' क्षेत्र की भारतीय कंपनियों को 'तात्कालिक वित्त'('ब्रिज फाइनेंस') के स्वरूप के अल्पावधि ऋण लेकर (क्रेता/ आपूर्तिकर्ता की साख/क्रेडिट सहित) पूँजीगत माल का आयात करने की अनुमति, भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति से, दी जाती है, बशर्ते तात्कालिक वित्त (ब्रिज फाइनेंस), दीर्घावधि बाह्य वाणिज्यिक उधार से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

आई) **नागरिक विमानन क्षेत्र के लिए कार्यशील पूंजी हेतु बाह्य वाणिज्यिक उधार**

कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत और यात्री परिवहन (transportation) के लिए नागरिक विमानन महानिदेशालय द्वारा जारी अनुसूचित परिचालक के परमिट-लाइसेंस की धारक, एयरलाइन कंपनियाँ, कार्यशील पूंजी के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने के लिए पात्र हैं। एयरलाइन कंपनियों के नकदी प्रवाह, विदेशी मुद्रा के अर्जन और लिए गए ऋण की चुकौती करने की क्षमता के आधार पर, बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने की अनुमति दी जाएगी और तीन वर्ष की न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि वाले बाह्य वाणिज्यिक उधार लिए जा सकेंगे।

संपूर्ण नागरिक विमानन क्षेत्र के लिए, समग्र बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने की उच्चतम सीमा एक बिलियन

अमरीकी डालर होगी और किसी एक विमानन कंपनी को, 300 मिलियन अमरीकी डालर तक का अधिकतम, बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने की अनुमति दी जा सकती है। इस सीमा का उपयोग, कार्यशील पूंजी के साथ-साथ, घरेलू बैंकिंग प्रणाली से कार्यशील पूंजी हेतु लिए गए रुपया ऋण (ऋणों) की बकाया राशि के पुनर्वित्त के लिए भी किया जा सकता है। उल्लेखानुसार कार्यशील पूंजी/कार्यशील पूंजी के पुनर्वित्त हेतु लिए गए बाह्य वाणिज्यिक उधार को रोल ओवर करने की अनुमति नहीं होगी। बाह्य वाणिज्यिक उधार की चुकौती के लिए, ऐसी कंपनियां विदेशी मुद्रा हेतु भारतीय बाजार का इस्तेमाल न करें तथा इस बाबत देयता का निपटान उधार लेने वाली कंपनी के द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जन से किया जाए। यह योजना 31 मार्च 2015 तक उपलब्ध रहेगी।

जे) **विदेशी ईक्विटी होल्डरों से सामान्य कार्पोरेट प्रयोजनों के लिए बाह्य वाणिज्यकि उधार लेना:**

पात्र उधारकर्ताओं को सामान्य कार्पोरेट प्रयोजनों (जिसमें कार्यशील पूंजी शामिल है) के लिए अपनी विदेशी ईक्विटी होल्डर कंपनी से 7 वर्षों की न्यूनतम औसत परिपक्वता वाले बाह्य वाणिज्यिक उधार अनुमोदन मार्ग के तहत निम्नलिखित शर्तों पर लेने की अनुमति दी गई है :

(i) उधारदाता द्वारा न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रदत्त ईक्विटी सीधे ही धारित हो;

(ii) ऐसे बाह्य वाणिज्यिक उधारों का उपयोग ऐसे किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा जो बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधी मौजूदा दिशानिर्देशों के तहत अनुमत नहीं है(भारत में अपनी समूह कंपनियों/स्टेप डाउन सहायक कंपनियों को आगे उधार देने सहित); और

(iii) मूल राशि की चुकौती 7 वर्षों की न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि पूर्ण होने पर ही प्रारंभ की जाएगी। परिपक्वता अवधि से पहले कोई पूर्व भुगतान करने की अनुमति नहीं होगी।

vi) **सतत विदेशी मुद्रा अर्जक भारतीय कंपनियों के लिए रुपया ऋणों की अदायगी और/ अथवा नए रुपया पूंजी व्यय हेतु ईसीबी - 10 बिलियन अमरीकी डालर की योजना**

ए) घरेलू बैंकिंग प्रणाली से पूंजी व्यय हेतु लिए गए रुपया ऋणों की अदायगी और/अथवा नए रुपया पूंजी व्यय के लिए विनिर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर और होटल क्षेत्र की भारतीय कंपनियां (होटल क्षेत्र के लिए कुल परियोजना लागत रु. 250 करोड़ अथवा अधिक, भले ही उनकी भौगोलिक लोकेशन कोई भी हो) बाह्य वाणिज्यिक उधार ले सकती हैं, बशर्ते वे विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान लगातार विदेशी मुद्रा की अर्जक रही हों और वे भारतीय रिज़र्व बैंक की चूककर्ता सूची/सतर्कता सूची में न हों।

ऐसे बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए समग्र उच्चतम सीमा 10 (दस) बिलियन अमरीकी डालर होगी और किसी एक कंपनी अथवा ग्रुप द्वारा, कुल मिलाकर, इस योजना के अंतर्गत ली गई ईसीबी 3 बिलियन अमरीकी डालर तक सीमित होगी। इसके अलावा, किसी एक भारतीय कंपनी द्वारा ली जा सकने वाली अधिकतम अनुमत ईसीबी उसके विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित औसत विदेशी मुद्रा के 75 प्रतिशत और/अथवा ठीक पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से किसी एक वर्ष के दौरान अर्जित उच्चतम विदेशी

मुद्रा के 50 प्रतिशत, इनमें से जो भी उच्चतर हो, होगी। एसपीवी (SPV) के मामले में जिसने गठन की तारीख से कम से कम एक वर्ष पूरा कर लिया हो और जिसका पिछले तीन वित्तीय सालों का पर्याप्त ट्रैक रेकार्ड/विगत कार्य निष्पादन उपलब्ध न हो, उसके द्वारा ली जा सकने वाली अधिकतम ईसीबी पिछले वित्तीय वर्ष में उसके द्वारा वार्षिक निर्यातगत अर्जित राशि के 50 प्रतिशत तक सीमित होगी।

बाह्य वाणिज्यिक उधार की अदायगी के लिए विदेशी मुद्रा भारतीय बाजारों से न ली जाए और बाह्य वाणिज्यिक उधार से उत्पन्न देयता की अदायगी उधार लेने वाली कंपनी द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा से ही की जाए।

बी) उल्लिखित मद सं. ए) में दी गई समग्र सीमा के भीतर, उक्त क्षेत्र की भारतीय कंपनियां {जैसाकि ऊपर मद सं. (vi)(ए) में दिया गया है} जिन्होंने विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के मौजूदा विनियमों के अनुपालन के अधीन समुद्रपारीय संयुक्त उद्यम (JV)/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां (WOS) स्थापित की हैं/समुद्रपारीय परिसंपत्तियां अर्जित की हैं, वे, 'पूंजी व्यय' के अतिरिक्त, घरेलू बैंकों से समुद्रपारीय जेवी/डब्ल्यूओएस में निवेश के लिए लिए गए सभी मीयादी ऋणों जिनकी औसत परिपक्वता अविध 5 सालों अथवा उससे अधिक हो/ली गई क्रेडिट सुविधाओं की अदायगी के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार ले सकते हैं। किसी कंपनी द्वारा लिए जाने वाले अधिकतम अनुमत बाह्य वाणिज्यिक उधार उसके द्वारा विगत तीन वित्तीय वर्षों में अर्जित विदेशी मुद्रा में से वसूल की गयी राशि के 75 प्रतिशत अथवा भारतीय कंपनी की समुद्रपारीय जेवी/ डब्ल्यूओएस/परिसंपिप्ति से आगामी तीन वित्तीय वर्षों में संभावित विदेशी मुद्रा अर्जन के आकलित औसत के 75 प्रतिशत तक होंगे जिसे किसी सांविधिक लेखापरीक्षक/सनदी लेखाकार/प्रमाणित लोक लेखाकार/सेबी के पास पंजीकृत श्रेणी I मर्चेंट बैंकर/ मेजबान देश में उचित विनियामक प्राधिकरण के पास पंजीकृत भारत से बाहर के निवेश बैंकर द्वारा प्रमाणित किया गया हो। लिए गए बाह्य वाणिज्यिक उधार की अदायगी समुद्रपारीय जेवी/डब्ल्यूओएस/परिसंपिप्ति से अर्जित विदेशी मुद्रा से की जानी चाहिए।

समुद्रपारीय जेवी / डब्ल्यूओएस / परिसंपिप्तियों से लाभांश / प्रत्यावर्तित लाभ/ रायल्टी, तकनीकी जानकारी, फीस, आदि के रूप अन्य विदेशी मुद्रा आवकों के रूप में किए गए विगत अर्जन की गणना इस योजना के तहत विदेशी मुद्रा अर्जन के रूप में की जाएगी।

10 बिलियन अमरीकी डालर योजना के अंतर्गत भारतीय बैंकों की समुद्रपारीय शाखाओं/ सहायक कंपनियों से बाह्य वाणिज्यिक उधार नहीं लिए जा सकेंगे।

vii) <u>कम लागत वाले सस्ते आवासों के लिए वाह्य वाणिज्यिक उधार</u>

(ए) बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने के प्रयोजनार्थ कम लागत वाली किसी सस्ती आवास परियोजना वह परियोजना होगी जिसमें अनुमत एफएसआई का कम से कम 60 प्रतिशत उन यूनिटों के लिए हो जिनकी कारपेट एरिया 60 वर्ग मीटर तक (से अधिक न) हो। मलिन बस्ती (स्लम) पुनर्वास परियोजनाएं भी कम लागत वाली सस्ती आवास योजनाओं के अंतर्गत इसके लिए पात्र होंगी। एतदर्थ सहभागिता योजना के तहत सस्ते आवास (AHP) मुहैया कराने के संबंध में गठित केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति द्वारा विनिर्दिष्ट मानदण्डों पर इनकी पात्रता आधारित होगी। बाह्य वाणिज्यिक उधार गत आगम राशि का उपयोग केवल सस्ती आवास

परियोजनाओं के लिए किया जाएगा और उसका उपयोग भूमि के अधिग्रहण के लिए नहीं होगा।

बी) डेवलपर/बिल्डर कम लागत वाली सस्ती आवास परियोजना के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार ले सकते हैं बशर्ते वे कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हों व जिन्हें आवास परियोजनाओं को हाथ में लेने का न्यूनतम 3 वर्षों का अनुभव हो, निर्माण गुणवत्ता तथा सुपुर्दगी देने के मामले में अच्छा ट्रैक रेकार्ड हो एवं भूमि के उपयोग के संबंध में राजस्व विभाग/पर्यावरण विभाग की अनुमति, आदि सहित विभिन्न निकायों (संस्थाओं) से सभी आवश्यक स्वीकृतियां उनके रेकार्ड में उपलब्ध हों। उन्होंने अपनी वित्तीय प्रतिबद्धताओं/देयताओं के संबंध में बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं अथवा किसी अन्य एजेंसी के प्रति कोई चूक न की हो और परियोजना विवादित न हो। पूर्ण हेज आधार पर, संपूर्ण परिपक्वता के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार राशि रुपए में स्वैप की जाएगी।

सी) आवास वित्त कंपनियां कम लागत वाली सस्ती आवास यूनिटों के भावी (संभावित) स्वामियों को वित्तीय सहायता देने के लिये बाह्य वाणिज्यिक उधार ले सकती हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक के पास पंजीकृत आवास वित्त कंपनियां जो राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी विनियामक निर्देशों एवं दिशानिर्देशों के अनुसार परिचालित होती हैं वे कम लागत वाली सस्ती आवास यूनिटों के वित्तपोषण के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार ले सकती हैं। आवास वित्त कंपनी की न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधियां (NOF) विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान 300 करोड़ (भारतीय) रुपए से कम नहीं होनी चाहिए। बाह्य वाणिज्यिक उधार के मार्फत ली गई उधार राशि आवास वित्त कंपनी की निवल स्वाधिकृत निधियों के 16 (सोलह) गुने की समग्र उधार सीमा के भीतर होनी चाहिए और निवल अनर्जक परिसंपत्तियां निवल अग्रिमों के 2.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसी एक क्रेता व्यक्ति को अधिकतम ऋण 25 लाख (भारतीय) रुपए की उच्चतम सीमा के भीतर स्वीकृत किया जा सकता है बशर्ते एक आवास यूनिट की लागत 30 लाख (भारतीय) रुपए से अधिक नहीं होगी। पूर्ण हेज आधार पर, संपूर्ण परिपक्वता के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार राशि रुपए में स्वैप की जाएगी। इस बाबत आवेदन करते समय आवास वित्त कंपनियां राष्ट्रीय आवास बैंक से इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगी कि कम लागत वाली सस्ती आवास यूनिटों के भावी (संभावित) स्वामियों को वित्तीय सहायता देने के लिये वे बाह्य वाणिज्यिक उधार ले रही हैं तथा उनके द्वारा लिया जाने वाला ब्याज दर विन्यास (interest rate spread) युक्तियुक्त है।

डी) एकल उधारकर्ताओं की कम लागत वाली सस्ती आवास यूनिटों की लागत के वित्त पोषण के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने के लिए पात्र है। इसके अतिरिक्त, कम लागत वाली सस्ती आवास परियोजना के डेवलपर द्वारा उपर्युक्त परिकल्पना के अनुसार सीधे बाह्य वाणिज्यिक उधार जुटाने में विफल होने पर, विनिर्दिष्ट मानदण्ड पूरे करने वाले ऐसे डेवलपर को उधार देने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक को बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने की अनुमति दी जाती है बशर्ते इस मामले में रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर विन्यास (Interest Rate Spread) का पालन किया जाए। बाह्य वाणिज्यिक उधार गत आगम राशि का उपयोग केवल कम लागत वाली सस्ती आवास परियोजनाओं के लिए किया जाना चाहिए और उसका उपयोग भूमि के अधिग्रहण के लिए नहीं होना चाहिए।

ई) लागत और अन्य तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय आवास बैंक स्वयं द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर के विन्यास का निर्धारण कर सकता है। राष्ट्रीय आवास बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कम लागत वाली सस्ती आवास एकल यूनिटों के भावी (संभावित) स्वामियों को आवास वित्त कंपनियों द्वारा आगे उधार देने के पर ली जाने वाली ब्याज दर का विन्यास युक्तियुक्त हो।

एफ) पात्रता मानदण्ड पूरा करने वाला बिल्डर/डेवलपर विनिर्दिष्ट फार्मेट में राष्ट्रीय आवास बैंक को आवदेन करेगा। कम लागत वाले सस्ते आवास की परियोजना होने की पात्रता निश्चित करने के लिए नोडल एजेंसी का कार्य राष्ट्रीय आवास बैंक करेगा और संतुष्ट होने पर, आवेदनपत्र अनुमोदन मार्ग के तहत विचार करने के लिए रिज़र्व बैंक को अग्रसारित करेगा। आवेदनपत्र रिज़र्व बैंक के विचारार्थ अग्रसारित करने का एक बार निर्णय ले लेने पर राष्ट्रीय आवास बैंक भावी (संभावित) उधारकर्ता (बिल्डर/डेवलपर) को सूचित करेगा कि वह विनिर्दिष्ट फार्म में अपने प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने हेतु रिज़र्व बैंक से संपर्क करे।

जी) डेवलपरों/बिल्डरों/आवास वित्त कंपनियों/राष्ट्रीय आवास बैंक को इस योजना के अंतर्गत विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (FCCBs) जारी करके उगाही करने की अनुमति नहीं होगी।

एच) कम लागत वाली सस्ती आवास योजनाओं के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में से प्रत्येक के लिए 1 (एक) बिलियन अमरीकी डालर की समग्र सीमा निश्चित की गई है जिसमें डेवलपरों/बिल्डरों और राष्ट्रीय आवास बैंक/विनिर्दिष्ट आवास वित्त कंपनियों द्वारा लिए जाने वाले बाह्य वाणिज्यिक उधार शामिल हैं।

viii 3 जी स्पेक्ट्रम आबंटन

सफल बोली लगाने वालों द्वारा 3जी स्पेक्ट्रम आबंटन के लिए प्रारंभिक भुगतान हेतु घरेलू बैंकों से जुटाए गए रुपया श्रोत जो टेलीकाम आपारेटरों की बहियों में अब तक बकाया हैं, उन्हें दीर्घावधि बाह्य वाणिज्यिक उधार द्वारा 31 मार्च 2014 तक पुनर्वित्तपोषित किया जा सकता है।

ix अंतिम उपयोग जिनकी अनुमत नहीं है

उपर्युक्त मदों में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न, उधार राशि का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों सहित किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा, अर्थात:

ए) पैरा I (बी) (i) (ए), (बी) , (डी), (ई), (एफ), (एन) और (पी) के अंतर्गत पात्र इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियों (आईएफसीएस), बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त किसी कंपनी (या उसके अंश) द्वारा भारत में आगे उधार देने अथवा पूंजी बाजार में निवेश करने अथवा कंपनी (उसके किसी हिस्से) का अधिग्रहण करने के लिए अंतिम उपयोग अनुमत नहीं है।

बी) रियल इस्टेट के लिए।

(सी) कार्यशील पूंजी, (उपर्युक्त पैरा । (बी) (v)(i) और (जे) में दर्शाए गए को छोड़कर) तथा सामान्य कारपोरेट उद्देश्यों और वर्तमान रुपया ऋणों की अदायगी (उपर्युक्त पैरा । (बी) (v)(डी), (एफ) और (vi) में दर्शाए गए को छोड़कर) के लिए अंतिम उपयोग अनुमत नहीं है।

x) गारंटी

बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बाह्य वाणिज्यिक उधार से संबंधित गारंटी, आपाती साखपत्र, वचन पत्र अथवा चुकौती आश्वासन पत्र जारी करने की सामान्यत: अनुमति नहीं है । लघु और मध्यम दर्जे के उद्यमों के मामले में बैंकों, वित्तीय संस्थाओं द्वारा बाह्य वाणिज्यिक उधार से संबंधित गारंटी/आपाती साखपत्र अथवा चुकौती आश्वासन पत्र उपलब्ध करने के आवेदन पर विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जाएगा।

भारतीय कपड़ा (टेक्सटाइल) उद्योग में क्षमता विस्तार और तकनीक उन्नयन को सुविधाजनक बनाने की

दृष्टि से कपड़ा-उद्योग इकाई के आधुनिकीकरण अथवा विस्तार हेतु टेक्सटाइल कंपनियों द्वारा बाह्य वाणिज्यिक उधार के संबंध में बैंकों द्वारा गारंटी, आपाती साखपत्र, वचन पत्र अथवा चुकौती वचन पत्र को जारी करने संबंध में विवेकपूर्ण मानदडों के अधीन अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत विचार किया जाएगा।

xi) ज़मानत

उधारदाता/आपूर्तिकर्ता को दी जाने वाली ज़मानत का विकल्प उधारकर्ता को ही चुनना है। तथापि, समुद्रपारीय उधारदाता के पक्ष में अचल परिसंपत्तियों और वित्तीय प्रतिभूतियों, जैसे शेयर पर प्रभार का सृजन, समय-समय पर यथासंशोधित, क्रमशः 03 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.21/ आरबी-2000 के विनियम 8 और 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.20/आरबी-2000 के विनियम 3 के अधीन है। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंकों को पूर्वोक्त पैरा 1 (ए) (ix) में दर्शाये गये अनुसार फेमा के तहत आवश्यक `आपत्ति नहीं' जारी करने के अधिकार दिये गये हैं ।

xii) बाह्य वाणिज्यिक उधार की आय को विदेशों में रखना (की पार्किंग)

उधारकर्ताओं को बाह्य वाणिज्यिक उधार की आगम राशि को अनुमत अंतिम-उपयोग करने तक या तो विदेश में रखने अथवा भारत में विप्रेषित करने के लिए अनुमति दी गयी है ।

ए) बाह्य वाणिज्यिक उधार की आगम राशि को विदेशों में रखना (पार्किंग): ये निधियां अग्रलिखित चल परिसंपत्तियों में निवेश की जा सकती हैं: (ए) स्टैंडर्ड ऐण्ड पुअर/ फिच आइबीसीए द्वारा कम से कम AA(-) अथवा मूडीज़ द्वारा कम से कम Aa3 रेटिंग प्राप्त बैंकों द्वारा प्रस्तावित जमाराशियों अथवा जमा प्रमाणपत्रों अथवा अन्य उत्पादों (लिखत); (बी) कम से कम उपर्युक्त रेटिंग वाले एक वर्ष की परिपक्वता अवधि वाले खज़ाना बिल और मौद्रिक लिखत और (सी) विदेश में भारतीय बैंकों की समुद्रापारीय शाखाओं/सहायक कंपनियों के पास जमाराशियों के रूप में। निधियों का निवेश इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि भारत में उधारकर्ता को जब भी निधियों की आवश्यकता महसूस हो, तब निवेश परिसमाप्त किया जा सके।

बी) भारत में रुपया व्यय के लिए विदेश/शों से लिए गए बाह्य वाणिज्यिक उधार की आगम राशि: भारत में रुपया व्यय जैसे, पूंजीगत माल को स्थानीय स्तर पर जुटाने, स्वयं सहायता समूहों अथवा माइक्रो क्रेडिट के लिए ऋण देने, स्पैक्ट्रम आबंटन के भुगतान करने, घरेलू बैंकों से लिए गए रुपया ऋणों की अदायगी करने, आदि के लिए विदेश से लिए गए बाह्य वाणिज्यिक उधारों की आगम राशि भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों के पास रखे रुपया खाते में जमा करने हेतु तत्काल प्रत्यावर्तित की जाए। बाह्य वाणिज्यिक उधार की आगम राशि का उपयोग होने तक बाह्य वाणिज्यिक उधार कर्ताओं को उसे कतिपय शर्तों के तहत प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों के पास अधिकतम छह माह के लिए मीयादी जमा के रूप में रखने की अनुमति भी दी गई है। तथापि, इन रुपया निधियों का पूँजी बाजारों, स्थावर संपदा में निवेश करने अथवा इंटर-कार्पोरेट उधार के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। यह सुनिश्चित करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व संबंधित उधारकर्ता का है कि भारत में रुपया व्यय हेतु लिए गए बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी) की आगम राशि भारत प्रत्यावर्तित की जाती है और बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) लेने संबंधी दिशानिर्देशों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा तथा ऐसा करना विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के तहत दण्डात्मक कार्रवाई को आमंत्रित कर सकता है। नामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक

द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना भी अपेक्षित है कि रुपया व्यय के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी) की आगम राशि प्राप्त होने पर (drawdown) तत्काल भारत प्रत्यावर्तित की जाती है।

xiii) समयपूर्व भुगतान

500 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक के बाह्य वाणिज्यिक उधार के समयपूर्व भुगतान की अनुमति भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत प्रदान की जा सकती है बशर्ते ऋण के लिए लागू न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि का अनुपालन किया गया हो।

---

xiv) मौज़ूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार का पुनर्वित्तीयन/ऋण की अवधि का पुनर्निर्धारण

मौज़ूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार का पुनर्वित्तीयन नया बाह्य वाणिज्यिक उधार ले कर किया जा सकता है, बशर्ते नया बाह्य वाणिज्यिक उधार कमतर समग्र लागत पर किया जाए, मूल बाह्य वाणिज्यिक उधार की शेष परिपक्वता अवधि घटायी न जाए (अर्थात मौज़ूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार की शेष अवधि या तो बरकरार रखी जाए अथवा बढ़ाई जाए) और नए बाह्य वाणिज्यिक उधार की राशि स्वचालित मार्ग के तहत अनुमत सीमा से अधिक हो। इसके अलावा, ऐसे पुनर्वित्त हेतु बाह्य वाणिज्यिक उधार भारतीय बैंकों की समुद्रपारीय शाखाओं/सहायक कंपनियों से लेने की अनुमति नहीं होगी।

xv) कर्ज का भुगतान

सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा, समय-समय पर, जारी बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधी दिशानिर्देशों के अनुरूप नामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक को मूल धन, ब्याज तथा अन्य प्रभारों की किस्तों के विप्रेषण की सामान्य अनुमति है।

xvi) क्रियाविधि

आवेदक आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ फार्म ईसीबी में नामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक के माध्यम से प्रधान मुख्य महप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, बाह्य वाणिज्यिक उधार प्रभाग, मुंबई -400 001 को आवदेनपत्र प्रस्तुत करें।

xvii) अधिकार प्राप्त समिति

अनुमोदन मार्ग के तहत आने वाले प्रस्तावों पर विचार करने के लिए रिज़र्व बैंक ने एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है।

II. विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (एफसीसीबी) :

विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (एफसीसीबी) समय पर यथा संशोधित "विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (एफसीसीबी) और साधारण शेयर (निक्षेपागार रसीद प्रणाली से) निर्गम योजना, 1993" और 7 जुलाई 2004 की अधिसूचना सं.फेमा.120/आरबी-2004 के द्वारा विनियमित होते हैं। विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (एफसीसीबी) के निर्गम अगस्त 2005 में बाह्य वाणिज्यिक उधार के अंतर्गत लाए गए थे। 7 जुलाई 2004 की अधिसूचना सं.फेमा.120/आरबी-2004 के तहत (i) विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों की न्यूनतम

परिपक्तवा अवधि 5 वर्षों से न्यून नहीं होगी, (ii) यदि कोई काल अथवा पुट आप्शन होगा, तो उसका प्रयोग 5 वर्षों से पूर्व नहीं किया जा सकेगा, (iii) विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड बिना किसी वारंट के जारी होगा, (iv) इनके निर्गम के आकार की तुलना में व्यय 4% से अधिक नहीं होंगा और निजी व्यवस्था के मामले में 2% से अधिक नहीं होंगा, आदि के अतिरिक्त विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (एफसीसीबी) बाह्य वाणिज्यिक उधार के संबंध में लागू सभी विनियमों के अंतर्गत भी होंगे।

विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों (FCCBs) का मोचन (redemption)

विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों (FCCBs) के मोचन संबंधी दायित्वों की पूर्ति में कठिनाइयों का सामना कर रही भारतीय कंपनियों को पुनर्वित्त सुविधा (की खिड़की) उपलब्ध कराने की आवश्यकता के मद्देनज़र नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को यह स्वीकृति दी गई है कि वे बकाया विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों के लिए पुनर्वित्त प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अनुपालन पर भारतीय कंपनियों को स्वचालित मार्ग के अंतर्गत अनुमति प्रदान कर सकते हैं :-

i. बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने संबंधी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार नए बाह्य वाणिज्यिक उधार/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों से राशि विनिर्दिष्ट औसत परिपक्कता अवधि के लिए तथा लागू समग्र लागत सीमा पर ली जा सकेगी;
ii. नए बाह्य वाणिज्यिक उधार/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों से उगाही जाने वाली राशि शेष विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों की परिपक्कता पर मोचनीय राशि से अधिक नहीं होगी;
iii. बकाया विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों की परिपक्कता की तारीख से छह माह पूर्व, नए वाणिज्यिक उधार/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों से राशि, उगाही नहीं जा सकेगी;
iv. भारतीय रिज़र्व बैंक से ऋण पंजीकरण संख्या (LRN) लेते समय फार्म 83 में बाह्य वाणिज्यिक उधार/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों का प्रयोजन स्पष्ट तौर पर "बकाया/शेष विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों (FCCBs) के मोचन हेतु" अंकित करना होगा;
v. पदनामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक ऐसी निधियों के अंतिम उपयोग की निगरानी करेगा;
vi. वर्तमान विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों के मोचन के लिए यदि बाह्य वाणिज्यिक उधार/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों की राशि 500 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक होगी तो इन पर अनुमोदन मार्ग के तहत विचार किया जाएगा; और
vii. वर्तमान बकाया विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों के पुनर्वित्त हेतु लिए गए बाह्य वाणिज्यिक उधार/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों को मौजूदा मानदण्डों के तहत स्वचालित मार्ग के अंतर्गत उपलब्ध 750 मिलियन अमरीकी डालर की सीमा के भाग के रूप में माना जाएगा।

विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों की पुनर्संरचना जिनमें मौजूदा परिवर्तन कीमत में किसी प्रकार के बदलाव की अपेक्षा होगी, उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी। मौजूदा परिवर्तन कीमत संबंधी प्रावधान में बिना किसी बदलाव के, विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों के पुनर्संरचना संबंधी मामलों पर, प्रस्ताव की गुणवत्ता के आधार पर, अनुमोदन मार्ग के तहत विचार किया जा सकता है।

III विदेशी मुद्रा विनिमय योग्य बांड (FCEB)

विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) से वह बांड अभिप्रेत है जो कि विदेशी करेंसी में अभिव्यक्त होता हो, जिसकी मूल तथा ब्याज दोनों की राशि विदेशी करेंसी में देय हों, जो निर्गम कंपनी द्वारा जारी किया गया हो और भारत के बाहर रहनेवाले ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा में अभिदत्त तथा दूसरी कंपनी जिसे ऑफर्ड कंपनी कहा जाता है, जो या तो पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से अथवा कर्ज लिखतों से संबद्ध किसी ईक्विटी संबंधित वारंट के आधार पर परिवर्तनीय हो। विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड मुक्त रूप में /आसानी से परिवर्तनीय किसी विदेशी मुद्रा के मूल्यवर्ग में हो सकते हैं।

पात्र जारीकर्ता: जारीकर्ता कंपनी, ऑफर्ड कंपनी के प्रवर्तक समूह की होगी और विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) जारी करते समय प्रदत्त/ दिये जानेवाले ईक्विटी शेयर उसके पास रहेंगे।

ऑफर्ड कंपनी: ऑफर्ड कंपनी एक सूचीबद्ध कंपनी होगी जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पाने के लिए पात्र क्षेत्र में कार्यरत है तथा विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) जारी करने अथवा बाह्य वाणिज्यिक उधार का लाभ उठाने हेतु पात्र होगी ।

विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) जारी करने हेतु अपात्र कंपनियां :

कोई कंपनी, जिस पर प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा प्रतिभूति बाजार में जाने पर रोक लगायी गई है या ऐसी भारतीय कंपनी, जो भारतीय प्रतिभूति बाजार से निधियां जुटाने के लिए पात्र नहीं है, वह विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) जारी करने हेतु पात्र नहीं होगी ।

पात्र अभिदाता: विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) जारी करते समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति तथा सेक्टोरल कैप संबंधी निर्देशों का पालन करनेवाली कंपनियां विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) में अभिदान कर सकती हैं । प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के तहत यथावश्यक विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की पूर्व अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिए ।

कंपनियां, जो विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) में अभिदान करने की पात्र नहीं हैं :

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा प्रतिभूतियों की खरीद, बिक्री तथा अन्य किसी प्रकार से उनका कारोबार करने से प्रतिबंधित कंपनियां विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) में अभिदान करने की पात्र नहीं होंगी ।

विदेशी मुद्रा विनिमय योग्य बांड (एफसीईबी) से आगत राशि (proceeds) का अंतिम उपयोग:

निर्गम कंपनी :

(i) संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में समुद्रपारीय निवेश पर मौजूदा दिशा-निर्देशों के तहत, विदेशी मुद्रा विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) से प्राप्त राशि, समुद्रपारीय निर्गम कंपनी

द्वारा, विदेश में संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्थाओं सहित प्रत्यक्ष निवेश के माध्यम से, निवेश की जा सकती है ।

(ii) निर्गम कंपनी द्वारा विदेशी मुद्रा विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) से प्राप्त राशि प्रवर्तक समूह की कंपनियों में निवेश की जा सकती है ।

प्रवर्तक समूह की कंपनियां : विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) की आगम (proceeds) राशि से निवेश प्राप्त करने वाली प्रवर्तक समूह की कंपनियां, बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति के तहत अंतिम उपयोग के अनुसार उक्त राशि का उपयोग कर सकती हैं ।

अंतिम उपयोग अनुमत नहीं : ऐसे निवेश प्राप्त करने वाली प्रवर्तक समूह की कंपनियों को भारत में पूंजी बाजार अथवा स्थावर सम्पत्ति में निवेश के लिए उक्त आय का उपयोग करने की अनुमति नहीं है।

समग्र लागत : विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) पर देय ब्याज दर तथा विदेशी मुद्रा में किये गये निर्गम खर्चे, बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) नीति के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित समग्र लागत सीमा के भीतर होंगे ।

विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) का मूल्य निर्धारण : विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) जारी करने के समय प्रस्तुत सूचीबद्ध ईक्विटी शेयरों का विनिमेय मूल्य निम्नलिखित दो उच्चतर स्थितियों से कम नहीं होना चाहिए :

(i) संदर्भित तारीख से पूर्ववर्ती छः महीनों के दौरान शेयर बाजार में बोली लगाने वाली (quoted) कंपनी के शेयरों के उच्च और निम्न अंतिम मूल्य का साप्ताहिक औसत; और

(ii) संदर्भित तारीख से पूर्ववर्ती दो सप्ताहों के दौरान शेयर बाजार में बोली लगाने वाली (quoted) कंपनी के शेयरों के उच्च और निम्न अंतिम मूल्य का साप्ताहिक औसत ।

औसत परिपक्वता: विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) की परिपक्वता अवधि कम से कम पांच वर्ष हो। विनिमय का विकल्प, शोधन तारीख से पहले, कभी भी दिया जा सकता है । विनिमय का विकल्प देते समय विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) के धारक को दिये जानेवाले शेयर की सुपुर्दगी लेनी होगी । विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) के लिए नकदी भुगतान अनुमत नहीं होगा ।

विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) से आगत (proceeds) राशि को विदेशों में रखना(parking) : विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) से प्राप्त होने वाली आय बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति के तहत निर्गम कंपनियों/प्रवर्तक समूह कंपनियों द्वारा विदेशों में रखी जायेगी/नियोजित कर दी जाएगी अथवा अनुमत अंतिम उपयोग करने तक भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंकों में उधारकर्ता रुपया खाते में जमा करने के लिए भारत में प्रत्यावर्तित की जाएगी। यह निर्गम कंपनियों की जिम्मेदारी होगी कि वे यह सुनिश्चित करें कि विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड की आगत राशि बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति के तहत निर्धारित केवल अनुमत अंतिम उपयोग के लिए प्रवर्तक समूह की कंपनी द्वारा उपयोग में लायी जाती है। निर्गम कंपनी, निर्गम कंपनी/प्रवर्तक समूह कंपनियों द्वारा आगत राशि के अंतिम उपयोग का, नामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा विधिवत प्रमाणित ऑडिट ट्रेल भी भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करें ।

परिचालनगत क्रियाविधि- विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) जारी करने के लिए अनुमोदित मार्ग के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अपेक्षित होगा। विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) से संबंधित सूचना देने की व्यवस्था वर्तमान बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति के अनुसार रहेगी ।

IV. संरचनात्मक दायित्व

दो निवासियों के बीच भारतीय रुपए में उधार लेना और देना विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 के किसी भी प्रावधान को आकृष्ट नहीं करता है। यदि किसी अनिवासी द्वारा दी गयी गारंटी पर रुपया ऋण दिया जाता है, तो गारंटी लागू किये जाने और अनिवासी गारंटीकर्ता द्वारा गारंटी के अंतर्गत देयता चुकाने की अपेक्षा पड़ने तक विदेशी मुद्रा में कोई लेनदेन नहीं होता है। अनिवासी गारंटीकर्ता i) भारत में धारित शेष रुपयों में से भुगतान करते हुए अथवा ii) भारत को निधियां विप्रेषित करते हुए अथवा iii) भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी बैंक के पास रखे गये अपने विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाते/अनिवासी विदेशी खाते में नामे डालते हुए देयता चुका सकता है। ऐसे मामलों में, अनिवासी गारंटीकर्ता राशि की वसूली के लिए निवासी उधारकर्ता पर अपने दावे को पूरा करने के लिए दबाव डाल सकता है और यदि देयता आवक विप्रेषण द्वारा अथवा विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाते/अनिवासी विदेशी खाते में नामे डालते हुए चुकायी जाती है तो वसूली किये जाने पर वह राशि के प्रत्यावर्तन के लिए मांग कर सकता है। तथापि, यदि बकाया रुपयों में से भुगतान करते हुए देयता चुकायी जाती है तो वसूल की गयी राशि अनिवासी गारंटीकर्ता के अनिवासी सामान्य खाते में जमा की जा सकती है ।

रिज़र्व बैंक ने 26 सितंबर 2000 की अपनी अधिसूचना सं. फेमा.29/आरबी-2000 के जरिये भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति, जिसने गारंटी के तहत देयता चुकायी है, को भुगतान करने के लिए मूल देनदार होने के कारण निवासी को सामान्य अनुमति प्रदान की है। तदनुसार, जहां अनिवासी द्वारा देयता भारत को विप्रेषित निधियों में से अथवा अपने विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाते/ अनिवासी विदेशी खाते में नामे डालते हुए चुकायी जाती है, वहां अदायगी राशि गारंटीकर्ता के विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाते/अनिवासी विदेशी खाते/अनिवासी सामान्य खाते में जमा करते हुए की जा सकता है, बशर्ते विप्रेषित/जमा की गयी राशि लागू की गयी गारंटी के लिए अनिवासी गारंटीकर्ता द्वारा अदा की गयी राशि के समतुल्य रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों से अपेक्षित है कि वे अपनी सभी शाखाओं के ऐसे सभी लेनदेनों का ब्योरा प्रधान मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, बाह्य वाणिज्यिक उधार प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय

भवन,11वीं मंज़िल, फोर्ट, मुंबई-400001 को, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से, इस प्रकार प्रस्तुत करें कि वे अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अवश्य मिल जाएं।

पात्र अनिवासी संस्थाओं (कंपनियों) द्वारा ऋण बढ़ाने (क्रेडिट एनहान्समेंट) की सुविधा, रुपए में मूल्यवर्गीकृत बांडों और डिबेंचरों जैसे पूंजी बाजार लिखतों के निर्गम के जरिये उगाहे गये घरेलू ऋण तक उन सभी पात्र उधारकर्ताओं के लिए, निम्नलिखित शर्तों पर, उपलब्ध है जो स्वचालित मार्ग के तहत बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने के लिए पात्र हैं :

i) क्रेडिट एनहान्समेंट की सुविधा, पात्र अनिवासी संस्थाओं (कंपनियों) द्वारा उपलब्ध करायी जानी चाहिए;

ii) अंतर्निहित ऋण लिखतों की न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि तीन वर्षों की होनी चाहिए;

iii) 3 वर्षों की औसत परिपक्वता अवधि तक इन पूंजी बाजार लिखतों के लिए पूर्वभुगतान और क्रय/विक्रय विकल्प अनुमत नहीं हैं;

iv) क्रेडिट एनहान्समेंट के संबंध में गारंटी शुल्क और अन्य लागत, निहित मूल राशि के अधिकतम 2 प्रतिशत तक सीमित की जाएगी;

v) क्रेडिट एनहान्समेंट लागू करने पर, यदि गारंटीकर्ता देयता चुकाता है और यदि वह पात्र अनिवासी संस्था को विदेशी मुद्रा में चुकाये जाने के लिए अनुमत है तो व्यापार ऋण/ बाह्य वाणिज्यिक उधारों की संबंधित परिपक्वता अवधि हेतु लागू समग्र लागत संबंधी उच्चतम सीमा, नवीन ऋण के लिए लागू होगी।

vi) चूक होने के मामले में, और यदि ऋण पर ब्याज आदि का भुगतान भारतीय रुपए में किया जाता है, तो लागू ब्याज दर नवीन ऋण की तारीख को बांडों पर कूपन दर अथवा 5 वर्षीय भारत सरकार की प्रतिभूति पर प्रचलित द्वितीयक बाजार प्रतिफल से 250 आधार विन्दु से ऊपर, में से जो भी उच्चतर हो, होगी;

vii) क्रेडिट एनहान्समेंट सुविधा का लाभ उठाने का प्रस्ताव करने वाली इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनियों को 12 फरवरी 2010 के परिपत्र सं.डीएनबीएस.पीडी.सीसी.नं.168/03.02.089/ 2009-10 में निर्धारित पात्रता मानदण्डों एवं विवेकपूर्ण मानकों का अनुपालन करना चाहिए और यदि नवीन ऋण विदेशी मुद्रा में नामित हो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनियों को पूरे विदेशी मुद्रा एक्स्पोज़र को हेज भी करना चाहिए; तथा

viii) बाह्य वाणिज्यिक उधार के संबंध में लागू रिपोर्टिंग व्यवस्था नवीन ऋणों पर भी लागू होगी।

V. अंतरण (टेकआउट) वित्त पोषण

संरचना क्षेत्र की विशेष वित्तीय (निधियन की) आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अंतरण वित्त पोषण की योजना लागू की गई है। तदनुसार, नयी परियोजनाओं के विकास के लिए बंदरगाह तथा हवाई अड्डे, पुलों समेत सड़कों तथा उर्जा क्षेत्र के पात्र उधारकर्ताओं द्वारा देशी बैंकों से लिये गये रुपया ऋणों के पुनर्वित्तीयन

के लिए अनुमोदन मार्ग के तहत निम्नलिखित शर्तों पर बाह्य वाणिज्य उधार के जरिये अंतरण वित्त पोषण की अनुमति दी जाती है:

i. संरचनात्मक परियोजना विकसित करनेवाली कंपनी को नियत व्यापारिक परिचालन तारीख (सीओडी) के तीन वर्षों के भीतर ऋण के या तो सशर्त अथवा बिना शर्त अंतरण के लिए देशी बैंकों तथा विदेशी मान्यताप्राप्त उधारदाताओं के साथ त्रिपक्षीय करार करना चाहिए। अंतरण करने की नियत तारीख करार में स्पष्ट रूप से दर्शायी जानी चाहिए।

ii. ऋण की न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि सात वर्षों की होनी चाहिए ।

iii. संरचनात्मक परियोजना के लिए वित्त पोषण करनेवाले देशी बैंक को अंतरण वित्त पोषण से संबंधित प्रचलित विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करना चाहिए ।

iv. अंतरण करने तक विदेशी उधारदाता को देय शुल्क, यदि कोई हो, तो प्रति वर्ष 100 आधार बिंदुओं से अधिक नहीं होना चाहिए ।

v. अंतरण पर, विदेशी उधारदाता द्वारा अंतरित किये जाने के लिए सहमत अवशिष्ट ऋण बाह्य वाणिज्य उधार के रूप में माना जाएगा और ऋण किसी परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में नामित किया जाएगा तथा बाह्य वाणिज्य उधार से संबंधित सभी प्रचलित मानदंडों का पालन करना होगा।

vi. देशी बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को अंतरण वित्तपोषण के लिए गारंटी देने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

vii. देशी बैंको को अंतरण की घटना घटित हो जाने पर अपने तुलन पत्र पर कोई दायित्व लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

viii. बाह्य वाणिज्य उधार नीति के तहत निर्धारित रिपोर्टिंग व्यवस्था का पालन करना होगा।

ix. ऐसा बाह्य वाणिज्य उधार भारतीय बैंकों की समुद्रपारीय शाखाओं /सहायक कंपनियों से नहीं लिया जाना चाहिए।

VI. बाह्य वाणिज्यिक उधार का ईक्विटी में परिवर्तन

(i) बाह्य वाणिज्यिक उधार के ईक्विटी में परिवर्तन की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जाती है –

(ए) कंपनी के कार्यकलापों को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए अनुमोदन मार्ग के तहत कवर किया जाता है अथवा विदेशी ईक्विटी सहभागिता के लिए कंपनी ने, जहां लागू हो, सरकारी (एफआईपीबी) अनुमोदन ले लिया है।

(बी) कर्ज के ईक्विटी में ऐसे परिवर्तन के बाद विदेशी ईक्विटी धारिता, यदि कोई हो, सेक्टोरल सीमा के अंदर है।

(सी) सूचीबद्ध/असूचीबद्ध कंपनियों के मामले में शेयरों की कीमत का निर्धारण फेमा, 1999 के तहत जारी कीमत निर्धारण संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार है।

(डी) बाह्य वाणिज्यिक उधार और एकमुश्त फीस/रायल्टी को ईक्विटी में परिवर्तित करना: विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गीकृत बाह्य वाणिज्यिक उधार देनदारी और/अथवा पूंजीगत माल के आयात, आदि को कंपनी द्वारा (ईक्विटी में) परिवर्तित करने के मामले में दोनों पार्टियों के बीच ऐसे करार/ऐसी सहमति(agreement) की तारीख को प्रचलित विनिमय दर को लागू करना समीचीन होगा। बाह्य वाणिज्यिक उधारदाता के साथ परस्पर करार के तहत उल्लिखित रूप में आकलित दर से कम पर रुपया राशि के लिए ईक्विटी शेयर जारी करने के बाबत रिज़र्व बैंक को कोई आपत्ति नहीं होगी। यह नोट किया जाए कि जारी किए जाने वाले ईक्विटी शेयर का उचित मूल्य ऐसे परिवर्तन की तारीख की संदर्भ दर के अनुसार ही आकलित होगा। उल्लेखानुसार विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गीकृत देनदारी के समतुल्य भारतीय रुपए की गणना का सिद्धांत, आवश्यक परिवतनों सहित, उन सभी मामलों में लागू होगा जहां किसी भारतीय कंपनी द्वारा भुगतान राशि/देनदारी जैसे एकमुश्त फीस/ रायल्टी, आदि इक्विटी शेयरों में परिवर्तित की जाती हैं अथवा अनिवासियों को अन्य प्रतिभूतियां जारी करनी हों, बशर्ते वे संबंधित विनियमों के अनुरूप हों।

(ii) बाह्य वाणिज्यिक उधार के परिवर्तन की सूचना निम्नानुसार रिज़र्व बैंक को दी जाएगी :

(ए) उधारकर्ताओं से यह अपेक्षा है कि वे बकाया बाह्य वाणिज्यिक उधार के ईक्विटी में पूर्णतः परिवर्तन की रिपोर्ट रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को फार्म एफसी-जीपीआर में देने के साथ ही साथ फार्म ईसीबी-2 में सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक को संबंधित माह की समाप्ति से 7 दिनों के अंदर दें। शब्द "ईक्विटी में पूर्णतः परिवर्तित बाह्य वाणिज्यिक उधार" फार्म ईसीबी-2 के ऊपर साफ-साफ लिखा/अंकित किया जाए। एक बार रिपोर्ट किए जाने के बाद, अनुवर्ती माह में ईसीबी-2 जमा करने की जरूरत नहीं है।

(बी) यदि बकाया बाह्य वाणिज्यिक उधार का ईक्विटी में आंशिक परिवर्तन होता है, तो उधारकर्ताओं से अपेक्षा है कि वे फार्म एफसी-जीपीआर में परिवर्तित भाग की सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें, साथ ही अपरिवर्तित हिस्से से परिवर्तित हिस्से को अलग करते हुए स्पष्ट रूप से फार्म ईसीबी-2 में जानकारी दें। शब्द "ईक्विटी में आंशिक परिवर्तित बाह्य वाणिज्यिक उधार" ईसीबी-2 फार्म के ऊपर लिखा/अंकित किया जाए। बाद के महीनों में बाह्य वाणिज्यिक उधार के बकाया भाग की रिपोर्ट सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग को ईसीबी-2 फार्म में दी जाए।

VII. बाह्य वाणिज्यिक उधार का क्रिस्टलीकरण (Crystallisation)

भारत में स्थित कंपनियों द्वारा रुपये में उगाही गई बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए दी गई गारंटियों में से उत्पन्न अपनी विदेशी मुद्रा देयता को बाह्य वाणिज्यिक उधार का रूप देने के इच्छुक प्राधिकृत व्यापारी बैंक, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, बाह्य वाणिज्यिक उधार प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई 400001 को पूर्ण ब्योरे अर्थात उधारकर्ता का नाम, उगाही गई राशि, परिपक्वता अवधि, गारंटी/ चुकौती का आश्वासन देने वाले पत्र के आह्वान की परिस्थितियां, चूक की तारीख,

संबंधित प्राधिकृत व्यापारी बैंक की समुद्रपारीय शाखा की देयताओं पर उसका प्रभाव और अन्य संबंधित तथ्य देते हुए प्रस्तुत करें।

VIII. पूर्ववर्ती 5 मिलियन अमरीकी डॉलर योजना के अंतर्गत बाह्य वाणिज्यिक उधार

नामित प्राधिकृत व्यापारी को पूर्ववर्ती 5 मिलियन अमरीकी डॉलर के तहत उगाहे गए ऋणों के लिए चुकौती अवधि के विस्तार को अनुमोदित करने की अनुमति है बशर्ते बगैर किसी अतिरिक्त लागत के ऐसे पुनः निर्धारण के लिए समुद्रपारीय उधारदाताओं से सहमति पत्र प्राप्त किया जाता है। मूल/ ऋण पंजीकरण संख्या के साथ वर्तमान और संशोधित चुकौती सूची के साथ ऐसे अनुमोदन की सूचना प्रधान मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, बाह्य वाणिज्यिक उधार प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई को अनुमोदन के 7 दिनों के अंदर और इसके बाद ईसीबी-2 में दी जाए।

IX. बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधी दिशा-निर्देशों का अनुपालन

बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों और रिज़र्व बैंक के विनियमों/निदेशों के अनुरूप बाह्य वाणिज्यिक उधार उगाहने/उपयोग किए जाने को सुनिश्चित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित उधारकर्ता की है तथा बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा तथा फेमा, 1999 के तहत आर्थिक दण्ड लगाया जा सकता है। नामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक से भी यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा है कि प्रमाणीकरण के समय बाह्य वाणिज्यिक उधार की उगाही/उपयोग बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।

X. रिपोर्टिंग व्यवस्था तथा सूचना का प्रसार

i) रिपोर्टिंग व्यवस्था

ए) प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए ऋण करार की प्रतिलिपि के प्रस्तुतीकरण को समाप्त कर दिया गया है।

बी) ऋण पंजीकरण संख्या (LRN) के आबंटन के लिए, उधारकर्ताओं से अपेक्षित है कि वे कंपनी सचिव अथवा सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित फार्म 83, दो प्रतियों में, प्राधिकृत व्यापारी बैंक को प्रस्तुत करें। उसमें से एक प्रति नामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा निदेशक, भुगतान संतुलन सांख्यिकी प्रभाग, सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, मुंबई-400051 को अग्रसारित की जाएगी। (नोट: ऋण करार और एफसीसीबी के लिए आफर दस्तावेजों की प्रतिलिपियां फार्म 83 के साथ अनुलग्न नहीं की जानी हैं)।

सी) उधारकर्ता सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक से ऋण पंजीकरण संख्या (LRN) की प्राप्ति के बाद ही ऋण आहरित (draw down) करेगा।

डी) उधारकर्ताओं से अपेक्षित है कि वे, नामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा प्रमाणित, विवरणी ईसीबी 2 मासिक आधार पर इस प्रकार सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करें कि वे संबंधित माह की समाप्ति से 7 दिनों के भीतर उन्हें प्राप्त हो जाएं।

[नोट: बाह्य वाणिज्यिक उधार से संबंधित सभी पूर्ववर्ती विवरणियां यथा ईसीबी 3 से ईसीबी 6 तक के प्रस्तुतीकरण को 31 जनवरी 2004 से बंद कर दिया गया है।]

ii) सूचना का प्रसार

वृहत्तर पारदर्शिता उपलब्ध कराने के लिए, स्वचालित और अनुमोदन दोनों मार्गों के तहत बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) योजनागत उधारकर्ता का नाम, राशि, प्रयोजन और परिपक्कता अवधि से संबंधित सूचना मासिक आधार पर रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर, संबंधित एक माह के अंतराल पर, प्रदर्शित की जाती है।

XI. क्रियाविधि को युक्तिसंगत बनाना-प्राधिकृत व्यापारियों में शक्तियों का प्रत्यायोजन

सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक से एलआरएन फार्म प्राप्त करने के बाद बाह्य वाणिज्यिक उधार की शर्तों में कोई परिवर्तन करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन आवश्यक होता है। बाह्य वाणिज्यिक उधारकर्ताओं से निम्न विषयों पर प्राप्त अनुरोधों को, विनिर्दिष्ट शर्तों पर, अनुमोदित करने के लिए नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंकों में शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है:

(ए) आहरण द्वारा कमी/चुकौती अनुसूची में परिवर्तन/आशोधन

नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक, अनुमोदन अथवा स्वत: अनुमोदित दोनों मार्गों के तहत पहले ही लिये गये बाह्य वाणिज्यिक उधारों की आहरण द्वारा कमी/चुकौती अनुसूची में परिवर्तन/आशोधन की अनुमति अग्रलिखित शर्तों के तहत दे सकते हैं: (i) बाह्य वाणिज्यिक उधार की परिपक्कता से पहले केवल एक बार पुनर्निर्धारण (re- schedulement) की अनुमति दी जा सकती है, (ii) यदि उधारदाता घरेलू बैंक की कोई विदेशी शाखा हो, तो पुनर्निर्धारण के मामले में लागू विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन होना चाहिए, (iii) उधारकर्ता भारतीय रिज़र्व बैंक की चूककर्ता/सतर्कता सूची में न हो तथा प्रवर्तन निदेशालय की जांच के अधीन न हो, (iv) आहरण द्वारा कमी/अदायगी संबंधी परिवर्तनों को फॉर्म 83 में सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआईएम) को तुरंत रिपोर्ट किया जाए, (v) समग्र लागत सीमा में, यदि परिवर्तन का कारण केवल बाह्य वाणिज्यिक उधारों के पुनर्निर्धारण और कार्योत्तर पुनर्निर्धारण से औसत परिपक्कता अवधि में परिवर्तन हो, किन्तु समग्र लागत सीमा और औसत परिपक्कता अवधि लागू दिशानिर्देशों के अनुरूप हो, इससे ब्याज दर और लागत (विदेशी मुद्रा में/भारतीय रुपए में) में कोई अतिरिक्त वृद्धि नहीं होनी चाहिए तथा (vi) ये उपबंध विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों (एफसीसीबी) पर लागू नहीं होंगे।

नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंकों को, अनुमोदन और स्वत: अनुमोदित, दोनों मार्गों के तहत पहले ही लिये गये बाह्य वाणिज्यिक उधारों की आहरण द्वारा कमी/चुकौती अनुसूची में परिवर्तन/आशोधन की अनुमति प्रदान करने की शक्तियां प्राप्त हैं, बशर्ते, ऋण पंजीकरण संख्या (LRN) प्राप्त करते समय घोषित औसत परिपक्कता अवधि बनाए रखी जाए।

नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक, आहरण द्वारा कमी (drawdown) संबंधी समय सारणी में परिवर्तनों/आशोधनों के, बाह्य वाणिज्यिक उधारकर्ताओं से प्राप्त अनुरोधों को, अनुमोदन प्रदान कर सकते हैं, जिससे स्वचालित और अनुमोदन दोनों मार्गों के तहत लिये गये बाह्य वाणिज्यिक उधारों की 'मूल औसत परिपक्कता अवधि' में परिवर्तन होगा, बशर्ते यह सुनिश्चित किया जाए कि बाह्य वाणिज्यिक उधारों की चुकौती अनुसूची में कोई परिवर्तन/आशोधन न हो, बाह्य वाणिज्यिक उधार की औसत परिपक्कता अवधि, ऋण पंजीकरण संख्या

(LRN) प्राप्त करते समय फॉर्म 83 में दर्शायी गयी मूल औसत परिपक्कता अवधि की तुलना में कम हो जाती हो, इस प्रकार कम हुई औसत परिपक्कता अवधि, मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित की गयी न्यूनतम औसत परिपक्कता अवधि के अनुरूप हो, समग्र लागत में परिवर्तन केवल औसत परिपक्कता अवधि में परिवर्तन के कारण हो तथा बाह्य वाणिज्यिक उधार मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार हों और एलआरएन के संबंध में मासिक ईसीबी-2 विवरणियां सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआईएम) को प्रस्तुत की गयी हों।

आहरण द्वारा कमी (drawdown)/चुकौती अनुसूची में हुए परिवर्तन सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक को फॉर्म 83 में तत्परता से रिपोर्ट किये जाएं। तथापि, बाह्य वाणिज्यिक उधार की मूल परिपक्कता अवधि की समाप्ति पर, चुकौती में किसी भी अवधि वृद्धि (elongation)/रोलओवर(rollover) के प्रस्ताव के लिए रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता होगी।

(बी) उधार की मुद्रा में परिवर्तन

नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक, अनुमोदन अथवा स्वत: अनुमोदित दोनों मार्गों के तहत पहले ही लिये गये बाह्य वाणिज्यिक उधारों के संबंध में यदि उधारकर्ता कंपनी चाहती है तो उधार की मुद्रा में परिवर्तन की अनुमति दे सकते हैं बशर्ते बाह्य वाणिज्यिक उधार की सभी अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहें। तथापि, नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उधार की प्रस्तावित मुद्रा मुक्त रूप से परिवर्तनीय हो। परिवर्तन सांख्यिकीय और सूचना प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक को फॉर्म 83 में तत्परता से रिपोर्ट किये जाएं।

(सी) प्राधिकृत व्यापारी बैंक बदलना

नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक, उधारकर्ता कंपनी द्वारा बाह्य वाणिज्यिक उधारों के संबंध में अपने लेनदेन करने के लिए मौजूदा नामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक में बदलाव मौजूदा नामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) की शर्त पर तथा समुचित सावधानी बरतने के तहत अनुमति दे सकते हैं। परिवर्तन सांख्यिकीय और सूचना प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक को फॉर्म 83 में तत्परता से रिपोर्ट किये जाएं।

(डी) उधारकर्ता कंपनी के नाम में परिवर्तन

नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक, उधारकर्ता कंपनी के नाम में परिवर्तन की अनुमति दे सकते हैं बशर्ते कंपनियों के रजिस्ट्रार से कंपनी के नाम में परिवर्तन के साक्ष्य देने वाले समर्थनकारी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हों। परिवर्तन सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक को फॉर्म 83 में तत्परता से रिपोर्ट किये जाएं।

(ई) मान्यताप्राप्त उधारदाता में परिवर्तन

नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक बाह्य वाणिज्यिक उधारकर्ता द्वारा मान्यताप्राप्त उधारदाता में परिवर्तन करने के लिए किए गए अनुरोध को अनुमोदित कर सकते हैं बशर्ते यह सुनिश्चित किया जाए कि मूल उधारदाता के साथ ही साथ नया उधारदाता मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार मानदंडों के अनुसार मान्यताप्राप्त उधारदाता हों, बाह्य वाणिज्यिक उधार की अन्य शर्तों में कोई परिवर्तन न हो और बाह्य वाणिज्यिक उधार मौजूदा दिशानिर्देशों के

अनुरूप हो। मान्यताप्राप्त उधारदाता में परिवर्तन सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक को फॉर्म 83 में तत्परता से रिपोर्ट किये जाएं।

(एफ) ऋण पंजीकरण संख्या (LRN) को रद्द करना

स्वचालित और अनुमोदन दोनों मार्गों के तहत लिये गये बाह्य वाणिज्यिक उधारों संबंधी ऋण पंजीकरण संख्या (LRN) रद्द करने हेतु, नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक, सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआईएम) से सीधे ही संपर्क कर सकते हैं, बशर्ते यह सुनिश्चित किया जाए कि उसी एलआरएन से कोई ऋण आहरित (draw down) न किया गया हो और संबंधित एलआरएन के संबंध में, अद्यतन मासिक ईसीबी-2 विवरणियां, सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआईएम), को प्रस्तुत की गयी हों ।

(जी) बाह्य वाणिज्यिक उधार राशि के अंतिम-उपयोग में परिवर्तन

नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक, स्वचालित मार्ग के तहत लिये गये बाह्य वाणिज्यिक उधारों के अंतिम-उपयोग में परिवर्तन हेतु बाह्य वाणिज्यिक उधारकर्ताओं से प्राप्त अनुरोधों को अनुमोदन प्रदान कर सकते हैं बशर्ते यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित अंतिम-उपयोग मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार स्वचालित मार्ग के तहत अनुमति योग्य हों, बाह्य वाणिज्यिक उधार की अन्य शर्तों में कोई परिवर्तन न हों, बाह्य वाणिज्यिक उधार मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार हों और एलआरएन के संबंध में आज की तारीख तक (अद्यतन) मासिक ईसीबी-2 विवरणियां सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआईएम) को प्रस्तुत की गयी हों। अंतिम-उपयोग में परिवर्तन, फॉर्म 83 में, सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआईएम), भारतीय रिज़र्व बैंक को तत्परता से रिपोर्ट किए जाएंगे ।

तथापि, अनुमोदन मार्ग के तहत लिये गये बाह्य वाणिज्यिक उधारों के अंतिम-उपयोग में हुए परिवर्तन, अब तक की भांति, विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक को संदर्भित/प्रस्तुत करना जारी रखे जाएंगे ।

(एच) बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) की राशि में कटौती/कमी

नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक, स्वचालित मार्ग के तहत लिये गये बाह्य वाणिज्यिक उधारों के संबंध में ऋण राशि में कटौती/कमी हेतु बाह्य वाणिज्यिक उधारकर्ताओं से प्राप्त अनुरोधों को अनुमोदन प्रदान कर सकते हैं, बशर्ते यह सुनिश्चित किया जाए कि ऋण राशि में कटौती/कमी के लिए उधारदाता की सहमति प्राप्त की गयी हो, बाह्य वाणिज्यिक उधार की औसत परिपक्वता अवधि बनाए रखे गयी हो, एलआरएन के संबंध में मासिक ईसीबी-2 विवरणियां सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआईएम) को प्रस्तुत की गयी हों; और बाह्य वाणिज्यिक उधार की अन्य शर्तों में कोई परिवर्तन न हो। परिवर्तन, फॉर्म 83 में, सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआईएम), भारतीय रिज़र्व बैंक को तत्परता से रिपोर्ट किए जाएं ।

(आई) बाह्य वाणिज्यिक उधार की समग्र लागत में कटौती/कमी

नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक, स्वचालित और अनुमोदन मार्गों के तहत लिये गये बाह्य वाणिज्यिक उधारों के संबंध में, समग्र लागत में कटौती हेतु बाह्य वाणिज्यिक उधारकर्ताओं से प्राप्त अनुरोधों को अनुमोदन प्रदान कर

सकते हैं, बशर्ते यह सुनिश्चित किया जाए कि उधारदाता की सहमति प्राप्त की गयी हो; और बाह्य वाणिज्यिक उधार की अन्य शर्तों में कोई परिवर्तन न हो और एलआरएन के संबंध में मासिक ईसीबी-2 विवरणियां सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआईएम) को प्रस्तुत की गयी हों।

भाग- II

भारत में आयात के लिए व्यापारिक उधार

"व्यापार ऋण" का आशय पांच वर्ष तक की परिपक्वता अवधि के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ता, बैंक और वित्तीय संस्थाओं द्वारा आयात के लिए सीधे ही दिए गए ऋण से है। वित्त के स्रोत के आधार पर ऐसे व्यापारिक ऋण में आपूर्तिकर्ता का ऋण अथवा क्रेता का ऋण शामिल है। आपूर्तिकर्ता ऋण का संबंध विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा भारत में आयातों के लिए दिया जाने वाले ऋण हैं, जबकि क्रेता ऋण भारत में आयात के लिए किए जाने वाले भुगतान हेतु आयातक द्वारा भारत से बाहर किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था से ऋण की व्यवस्था करना है।

(ए) राशि और परिपक्वता अवधि

(i) प्राधिकृत व्यापारी बैंक, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की मौजूदा विदेश व्यापार नीति के तहत भारत में आयात के लिए एक वर्ष तक की परिपक्वता अवधि वाले (पोत लदान की तारीख से) अनुमत आयातों के लिए 20 मिलियन अमरीकी डॉलर प्रति आयात लेनदेन के हिसाब से व्यापारिक उधार अनुमोदित कर सकते हैं।

(ii) विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा यथावर्गीकृत पूंजीगत माल के आयात के लिए प्राधिकृत व्यापारी बैंक प्रति आयात लेनदेन 20 मिलियन अमरीकी डालर तक के लिए एक वर्ष से अधिक और पांच वर्ष तक (पोत लदान की तारीख से) की परिपक्वता वाले व्यापार ऋण अनुमोदित कर सकते हैं। सभी व्यापार ऋणों के लिए प्रारंभिक संविदा अवधि 6 (छह) माह होगी।

(iii) ट्रेड क्रेडिट की अवधि परिचालन चक्र और ट्रेड लेनदेन से संबद्ध होनी चाहिए। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन अनुदेशों का कड़ाई से पालन किया जाए।

बी) समग्र लागत सीमा

वर्तमान समग्र लागत संबंधी उच्चतम सीमा निम्नानुसार हैः

परिपक्वता अवधि	**छ : माह तक के लाइबोर* से ऊपर समग्र लागत सीमा**
एक वर्ष तक	350 आधार अंक
एक वर्ष से अधिक परंतु तीन वर्षों तक	
तीन वर्षों से अधिक परंतु पांच वर्षों तक	

* क्रेडिट की संबंधित करेंसी अथवा लागू बेंचमार्क के लिए

समग्र लागत सीमा में व्यवस्थापक शुल्क, अपफ्रंट शुल्क, प्रबंधन शुल्क, लदाई-उतराई/ प्रॉसेसिंग प्रभार, फुटकर और कानूनी खर्च, यदि कोई हों, शामिल होंगे।

सी) गारंटी

प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत अनुमत सभी गैर-पूंजीगत आयातों (स्वर्ण, पल्लाडियम, प्लैटिनम, रोडियम, चाँदी आदि को छोड़कर) हेतु एक वर्ष की अवधि के लिए और पूंजीगत माल के आयात हेतु तीन वर्ष की अवधि के लिए, समय-समय पर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण दिशा-निर्देशों के अधीन प्रति लेनदेन 20 मिलियन अमरीकी डॉलर तक के साख-पत्र/गारंटियां/वचनपत्र/चुकौती आश्वासन पत्र समुद्रपारीय आपूर्तिकर्ता, बैंक और वित्तीय संस्थाओं के पक्ष में जारी करने की अनुमति दी गई है। ऐसे साख-पत्र/गारंटियों/वचनपत्रों/चुकौती आश्वासन पत्रों की अवधि ऋण अवधि के अनुरूप हो और उसकी गणना पोत पर माल लदान की तारीख से की जाए।

प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को समुद्रपारीय आपूर्तिकर्ता, बैंक और वित्तीय संस्थाओं के पक्ष में तीन वर्षों से अधिक अवधि के साख-पत्र/गारंटियां/वचनपत्र/चुकौती आश्वासन पत्र जारी करने की अनुमति नहीं है।

डी) रिपोर्टिंग व्यवस्था

प्राधिकृत व्यापारी बैंकों से अपेक्षित है कि वे अप्रैल 2004 से आगे फार्म टीसी (अनुबंध IV में दिए गए फार्मेट) में माह के दौरान अपनी सभी शाखाओं द्वारा दिए गए व्यापारिक ऋण के अनुमोदनों, आहरणों, उपयोगों और चुकौती का समेकित विवरण निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रभाग, आर्थिक नीति और अनुसंधान विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 8वीं मंज़िल, फोर्ट, मुंबई - 400 001 को (और एमएस-एक्सेल फाइल में ई-मेल द्वारा) इस प्रकार भेजें कि वह अगले माह की 10 तारीख तक प्राप्त हो जाए। प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा प्रत्येक व्यापारिक ऋण को विशिष्ट पहचान सं.(UIN) दी जाए।

प्राधिकृत व्यापारी बैंकों से अपेक्षित है कि वे अपनी सभी शाखाओं द्वारा जारी साखपत्रों/ गारंटियों/वचन-पत्रों/आश्वासन-पत्रों से संबंधित डाटा समेकित विवरण के रूप में तिमाही आधार पर (अनुबंध V में दिए गए फार्मेट) प्रधान मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, बाह्य वाणिज्यिक उधार प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 11वीं मंज़िल, फोर्ट, मुंबई - 400 001 को (और एमएस-एक्सेल फाइल में ई-मेल द्वारा) दिसंबर 2004 एवं आगे से इस प्रकार भेजें कि वे अगले माह की 10 तारीख तक प्राप्त हो जाएं।

अनुबंध I

फार्म - ईसीबी

अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत बाह्य वाणिज्यिक उधार की उगाही के लिए आवेदनपत्र

अनुदेश

आवेदक, पूर्ण रूप से भरा गया आवेदनपत्र, नामित प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, बाह्य वाणिज्यिक उधार प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई-400 001 को प्रेषित करें।

प्रलेखन

प्राधिकृत व्यापारी द्वारा प्रमाणित निम्नलिखित दस्तावेज (जो संबंधित हो), आवेदनपत्र के साथ प्रस्तुत किए जाएं ;

(i) विदेशी उधारदाता/आपूर्तिकर्ता से प्रस्तावित बाह्य वाणिज्यिक उधार के सभी शर्तों का पूर्ण विवरण देते हुए प्रस्ताव पत्र की एक प्रति।

(ii) आयात संविदा, प्रोफार्मा / वाणिज्यिक बीजक / लदान बिल की एक प्रति ।

भाग-ए- उधारकर्ता के बारे में सामान्य जानकारी

1. आवेदक का नाम
   (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)
   पता
2. आवेदक की हैसियत
   i) निजी क्षेत्र
   ii) सरकारी क्षेत्र

भाग-बी-प्रस्तावित बाह्य वाणिज्यिक उधार के बारे में जानकारी

	मुद्रा	राशि	अमरीकी डॉलर में समतुल्य राशि
1. बाह्य वाणिज्यिक उधार के ब्योरे			

(ए) बाह्य वाणिज्यिक उधार का प्रयोजन

(बी) बाह्य वाणिज्यिक उधार का स्वरूप [कृपया उचित बॉक्स में (x) लिखें]

(i)	आपूर्तिकर्ता ऋण	
(ii)	क्रेता ऋण	
(iii)	सामूहिक ऋण	
(iv)	निर्यात ऋण	
(v)	विदेशी सहयोगी / ईक्विटी धारक से ऋण (राशि, उधारकर्ता कंपनी की प्रदत्त ईक्विटी पूंजी में ईक्विटी धारिता प्रतिशत के ब्योरे सहित)	
(vi)	अस्थायी दर वाले नोट	

(vii)	नियत दर वाले बांड	
(viii)	ऋण सहायता	
(ix)	वाणिज्यिक बैंक ऋण	
(x)	अन्य (कृपया उल्लेख करें)	

सी) बाह्य वाणिज्यिक उधार की शर्तें :

(i) ब्याज दर :

(ii) प्रारंभिक शुल्क (अप-फ्रंट फी) :

(iii) प्रबंधन शुल्क :

(iv) अन्य प्रभार,अगर कोई हो तो (कृपया उल्लेख करें) :

(v) समग्र लागत :

(vi) वायदा शुल्क :

(vii) दंडात्मक ब्याज की दर :

(viii) बाह्य वाणिज्यिक उधार की अवधि :

(ix) क्रय/विक्रय विकल्प के ब्योरे, अगर कोई हो तो :

(x) रियायत/अधिस्थगन अवधि :

(xi) चुकौती की शर्तें (अर्धवार्षिक/वार्षिक/बुलेट) :

(xii) औसत परिपक्वता

---

2. उधारदाता के ब्योरे

उधारदाता / आपूर्तिकर्ता का नाम और पता

---

3. दी जाने वाली सेक्यूरिटी, यदि कोई हो, का स्वरूप

भाग सी - आहरण द्वारा कमी और चुकौती संबंधी जानकारी

प्रस्तावित अनुसूची								
आहरण द्वारा कमी			मूलधन की चुकौती			ब्याज का भुगतान		
माह	वर्ष	राशि	माह	वर्ष	राशि	माह	वर्ष	राशि

भाग डी - अतिरिक्त जानकारी

1. परियोजना संबंधी जानकारी

i) परियोजना का नाम और स्थान :

ii) परियोजना की कुल लागत : रु. अमरीकी डॉलर

iii) परियोजना लागत के प्रतिशत के रूप में कुल बाह्य वाणिज्यिक उधार :

iv) परियोजना का स्वरूप :

v) क्या वित्तीय संस्था /

बैंक द्वारा मूल्यांकन किया गया है :

vi) संरचनात्मक क्षेत्र : :

ए) बिजली

बी) दूरसंचार

सी) रेलवे

डी) पुल समेत रोड

ई) पोर्ट

एफ) औद्योगिक पार्क

जी) शहरी संरचना - पानी की आपूर्ति, सैनिटेशन और सीवरेज

vii) क्या किसी सांविधिक प्राधिकरण से मंजूरी की जरूरत है ? :

अगर हां, तो प्राधिकरण का नाम बताएं, मंजूरी सं. और दिनांक का उल्लेख करें ।

2. चालू और पिछले तीन वित्तीय वर्षों में लिया गया बाह्य वाणिज्यिक उधार (पहली बार के उधारकर्ताओं के लिए लागू नहीं)					
वर्ष	पंजीकरण सं.	करेंसी	ऋण राशि	संवितरित राशि	बकाया राशि*

* आवेदन की तारीख को चुकौतियों का निवल, अगर कोई हो तो ।

भाग ई- प्रमाणीकरण

1. आवेदक द्वारा -

हम इसके साथ यह प्रमाणित करते हैं कि (i) हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार दिए गए उक्त ब्योरे सत्य और सही हैं और (ii) उगाही जाने वाली बाह्य वाणिज्यिक उधार का उपयोग अनुमत प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।

____

(आवेदक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

स्थान ____________

नाम : ______________________________

दिनांक ___________

मुहर

पदनाम : ____________________________

फोन सं. : ___________________________

फैक्स सं. : __________________________

ई-मेल : ____________________________

---

2. प्राधिकृत व्यापारी द्वारा -

हम इसके साथ यह प्रमाणित करते हैं कि (i)आवेदक हमारा ग्राहक है (ii) हमने उधारदाता / आपूर्तिकर्ता से प्राप्त आवेदन और प्रस्ताव के मूल पत्र और प्रस्तावित उधार से संबंधित दस्तावेजों की जांच की है और उसे सही पाया है।

____

(प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

स्थान ____________

नाम : _____________________________

दिनांक ___________

मुहर

बैंक /शाखा का नाम : ____________________

प्राधिकृत व्यापारी कूट

अनुबंध II

फार्म 83

(विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अधीन ऋण करार ब्योरों की रिपोर्टिंग)

उधारकर्ता द्वारा ईसीबी की सभी श्रेणियों और किसी भी राशि के लिए इसे दो प्रतियों में पदनामित प्राधिकृत व्यापारी (एडी) को प्रस्तुत किया जाना है। प्राधिकृत व्यापारी मौजूदा ईसीबी दिशानिर्देशों के तहत जाँच करने के बाद फॉर्म के भाग एफ में आवश्यक ब्योरे दे तथा ऋण पंजीकरण संख्या (एलआरएन) के आबंटन के लिए एक प्रति (उधारकर्ता और उधारदाता के बीच ऋण करार हस्ताक्षरित होने की तारीख से 7 दिनों के भीतर) निम्नलिखित को प्रेषित करें:

निदेशक
भुगतान संतुलन सांख्यिकीय प्रभाग
सांख्यिकीय और सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआईएम)
भारतीय रिज़र्व बैंक
सी-8-9, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स
मुंबई – 400051

<table>
<tr><td colspan="4">**करार के ब्योरे (बाह्य वाणिज्यिक उधारों के उधारकर्ताओं द्वारा भरे जाएं)**</td></tr>
<tr><td>ईसीबी मार्ग(उचित कॉलम में टिक लगाएं)</td><td>अनुमोदन मार्ग</td><td></td><td>स्वत: अनुमोदन मार्ग</td></tr>
<tr><td colspan="4">**अनुमोदन मार्ग के मामले में**</td></tr>
<tr><td colspan="2">भा.रि.बैंक-वि.मु.वि. द्वारा दिए गए अनुमोदन की सं. और तारीख:
(अनुमोदन पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">ऋण की मूल (key) संख्या (भा.रि.बैंक द्वारा आबंटित)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">पूर्ववर्ती ऋण पंजीकरण सं. (केवल संशोधित फॉर्म 83 के लिए लागू)</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="5">**भाग ए: उधारकर्ता के ब्योरे**</td></tr>
<tr><td rowspan="13">उधारकर्ता का नाम और पता (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)

कंपनियों के रजिस्ट्रार द्वारा दी गयी पंजीकरण सं.:

कंपनी की पीएएन (पैन) सं.:

व्यवसाय गतिविधि:
संपर्क अधिकारी का नाम :
पदनाम :

फोन सं :
फैक्स सं. :
ई-मेल आईडी :</td><td colspan="4">**उधारकर्ता की श्रेणी** (उचित कॉलम में टिक लगाएं)</td></tr>
<tr><td>सरकारी क्षेत्र</td><td></td><td>निजी क्षेत्र</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">विस्तृत श्रेणी (उचित कॉलम में टिक लगाएं)</td></tr>
<tr><td colspan="4">कार्पोरेट-विनिर्माण</td></tr>
<tr><td colspan="4">कार्पोरेट-इंफ्रास्ट्रक्चर</td></tr>
<tr><td colspan="4">कार्पोरेट-सेवा क्षेत्र-(होटल्स,अस्पताल तथा सॉफ्टवेयर)</td></tr>
<tr><td colspan="4">कार्पोरेट-सेवा क्षेत्र-(होटल्स,अस्पताल तथा सॉफ्टवेयर से भिन्न)</td></tr>
<tr><td colspan="4">बैंक</td></tr>
<tr><td colspan="4">वित्तीय संस्था (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी से इतर)</td></tr>
<tr><td colspan="2">गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-आईएफसी</td><td colspan="2">पंजीकरण सं.</td></tr>
<tr><td colspan="2">गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनी-एमएफआई</td><td colspan="2">पंजीकरण सं.</td></tr>
<tr><td colspan="2">गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-अन्य</td><td colspan="2">पंजीकरण सं.</td></tr>
<tr><td colspan="4">गैर- सरकारी संगठन (एनजीओ)</td></tr>
</table>

(कोई भी मद खाली न छोड़ी जाए)	व्यष्टि वित्त संस्था (एमएफ)
	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)
भाग:बी उधारदाता के ब्योरे	
उधारदाता/पट्टादाता/विदेशी आपूर्तिकर्ता का नाम और पता (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)	उधारदाता की श्रेणी (उचित कॉलम में टिक लगाएं)
	बहुपक्षीय वित्तीय संस्था
	विदेशी सरकार (द्विपक्षीय एजेंसी)
	निर्यात ऋण एजेंसी
	विदेश में स्थित भारतीय वाणिज्य बैंक की शाखा
	अन्य वाणिज्य बैंक
	उपकरण के आपूर्तिकर्ता
देश:	पट्टादायी कंपनी
ई-मेल आईडी :	विदेशी सहभागी/ विदेशी ईक्विटी धारक
(कोई भी मद खाली न छोड़ी जाए)	अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाज़ार
	क्षेत्रीय वित्तीय संस्था
	सरकारी स्वामित्व वाली विकास वित्तीय संस्था
	अन्य(विनिर्दिष्ट करें)
उधारकर्ता कंपनी में उधारदाता की विदेशी ईक्विटी धारिता के ब्योरे: (ए)उधारकर्ता का प्रदत्त ईक्विटी में शेयर (%)	(बी) प्रदत्त पूंजी की राशि
ईसीबी-देयता: विदेशी ईक्विटी धारक से 5 मिलियन अमरीकी डॉलर से ऊपर के उधार के मामले में ईक्विटी अनुपात	

भाग सी: ऋण के ब्योरे										
ऋण करार की तारीख (ववव/मम/दिदि)										
ऋण की प्रभावी तारीख										
संवितरण की अंतिम तारीख										
परिपक्वता तारीख (अंतिम भुगतान की तारीख)										

रियायत अवधि (यदि करार में हो)	वर्ष			माह		
मुद्रा 1. 2. 3.				**करेंसी कूट** (स्विफ्ट)		
राशि (विदेशी मुद्रा में) 1. 2. 3.						
समतुल्य राशि(अमरीकी डॉलर में) (इस फॉर्म की तारीख को)						
राशि का प्रस्तावित द्विभाजन	विदेशी मुद्रा व्यय			रुपया व्यय		
(ऋण मुद्रा में)						

हेजिंग के ब्योरे	करेंसी स्वैप	ब्याज दर स्वैप	अन्य	अनहेज्ड

(एक को टिक करें)				

यदि ऋण करार में विकल्प दिए गए हैं (उचित कॉलम में टिक लगाएं)

कॉल ऑप्शन		कर्ज का प्रतिशत	दिनांक के बाद निष्पादित किया जा सकता है										
पुट ऑप्शन		कर्ज का प्रतिशत	दिनांक के बाद निष्पादित किया जा सकता है										

गारंटीकर्ता का नाम और पता (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)

संपर्क अधिकारी का नाम:

पदनाम:

फोन सं.: फऐक्स सं.: ई-मेल आईडी:

गारंटी स्टेटस कूट (बॉक्स 1 देखें)

उधार राशियों का प्रयोजन कूट (बॉक्स 2 देखें) : (यदि बहुप्रयोजनीय हो,तो प्रत्येक प्रयोजन हेतु उपयोग की जानेवाली राशि अलग-अलग अनुबंध में दें)			

परियोजना ब्योरे:

यदि आयात है तो आयात के देश का नाम स्पष्ट करें (यदि एक से अधिक देश हैं,तो ब्योरे संलग्न करें):

आर्थिक क्षेत्र/उद्योग कूट(बॉक्स 3 देखें)

ईसीबी के प्रकार(उचित कॉलम में टिक लगाएं)

	1.खरीदार का ऋण		2.वाणिज्यक ऋण/ सामूहिक ऋण (ऋणदाता के बीच प्रतिशत संवितरण के लिए पत्रक संलग्न करें)
	3. आपूर्तिकर्ता का ऋण		4.द्विपक्षीय स्रोतों से निर्यात ऋण
	5. ऋण सहायता		6.प्रतिभूतिकृत लिखत – (बांड, सीपी, एफआरएन, आदि)
	7.वित्तीय पट्टा		8.एफसीसीबी,एफसीईबी,अपरिवर्तनीय अधिमानी शेयर, वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय अधिमानी शेयर, आंशिक रूप से परिवर्तनीय अधिमानी शेयर
	9.पुराने ईसीबी का पुनर्वित्तपोषण: पुराने ईसीबी की पंजीकरण सं अनुमोदन सं. अनुमोदन की तारीख: पुनर्वित्त राशि: कारण:		
	10. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		

ब्याज भुगतान अनुसूची :

पहली भुगतान तिथि				/			/			वर्ष के दौरान भुगतानों की संख्या			
नियत दर				.									
अस्थायी दर	आधार करेंसी के साथ		मार्जिन		कैप दर		न्यूनतम दर						

आहरण द्वारा कमी की अनुसूची

श्रृंखला सं.	दिनांक* (वर्ष/माह/दिन)	मुद्रा	राशि	यदि एक से ज्यादा एक समान किस्तें हों तो #	
				आहरणों की कुल सं.	कैलेंडर वर्ष में आहरणों की संख्या

	*1.	माल और सेवाओं के आयात के मामले में आहरण द्वारा कमी की तारीख के सामने आयात की तिथि दी जाए।
	2.	वित्तीय पट्टे के मामले में माल के अधिग्रहण (आयात) की तिथि को आहरण द्वारा कमी की तिथि के रूप में लिखा जाए।
	3.	प्रतिभूतिकृत लिखत के मामले में, जारी करने की तारीख को आहरण द्वारा कमी की तिथि के रूप में दर्शाया जाए।
	4.	आहरण द्वारा कमी के एक से अधिक लेनदेन यदि ऊपर एक पंक्ति में दर्शाए जाते हैं तो प्रथम लेनदेन की तारीख लिखी जाए। # यदि आहरण असमान किस्तों में हैं तो ब्योरे संलग्नक (अनुबंध)में दिए जाएं।

मूल चुकौती अनुसूची

दिनांक (वर्ष/माह/ दिन)	मुद्रा	राशि	यदि एक से अधिक एकसमान किस्तें हों तो#		
			भुगतान किस्तों की संख्या	एक कैलेंडर वर्ष में भुगतानों की संख्या	

यदि आहरण असमान किस्तों में है तो ब्योरे संलग्नक (अनुबंध) में दिए जाएं।

भाग डी:अन्य प्रभार

प्रभार का स्वरूप (स्पष्ट करें)	भुगतान की अपेक्षित तिथि	मुद्रा	राशि	अनेक समान भुगतानों के मामले में	
				एक वर्ष में भुगतानों की सं.	भुगतानों की कुल सं.

विलंब से भुगतान के लिए दण्डात्मक ब्याज	नियत % अथवा आधार: मार्जिन:
प्रतिबध्दता प्रभार	-------------का प्रति वर्ष % अनाहरित राशि का %

भाग ई: पहले लिए गए ईसीबी के ब्योरे-(पहली बार उधार लेने वाले पर लागू नहीं)					
वर्ष	ऋण पंजीकरण सं.	मुद्रा	ऋण राशि		
			मूल राशि(करार के अनुसार)	अब तक वितरित राशि	निवल बकाया राशि (मूल)

हम इसके साथ यह प्रमाणित करते हैं कि हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार दिए गए उक्त ब्योरे सत्य और सही हैं। कोई भी म-त्वपूर्ण सूचना रोकी/अथवा गलत नहीं दी गयी है। इसके अतिरिक्त, ईसीबी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार है।

स्थान : ____________ ---

दिनांक : ____________ मुहर (कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर)

नाम:___________ पदनाम: ________

____

(कंपनी सचिव/ सनदी लेखाकार के हस्ताक्षर)

स्थान : ____________

दिनांक: -------------------------- मुहर नाम ---

पंजीकरण सं.___________________

भाग एफ: (प्राधिकृत व्यापारी द्वारा भरा जाना है)

हमने संबंधित दस्तावेजों की छानबीन की है और निम्नानुसार पुष्टि करते हैं कि:

<table>
<tr><td rowspan="3">1</td><td rowspan="3">अंतिम उपयोग (यदि एक अंतिम उपयोग से अधिक उपयोग हैं तो % हिस्सा दें)</td><td rowspan="3">(i)
(ii)
(iii)</td><td colspan="3">निम्नलिखित में से एक को टिक करें</td></tr>
<tr><td>स्वत: अनुमोदित मार्ग के तहत अनुमत</td><td colspan="2">विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदन मार्ग के तहत अनुमत</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">2</td><td rowspan="2">औसत परिपक्वता</td><td colspan="2">वर्ष</td><td colspan="2">माह</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">3</td><td rowspan="2">लागत फैक्टर (%)</td><td colspan="2" rowspan="2">नियत दर ऋण</td><td colspan="2">फ्लोटिंग दर ऋण</td></tr>
<tr><td>मार्जिन (स्प्रेड) ओवर बेस</td><td>बेस</td></tr>
<tr><td>ए) ब्याज दर</td><td colspan="2"></td><td></td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>बी) समग्र लागत</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="5">विदेशी ईक्विटी धारक से ऋण के मामले में, यह पुष्टि की जाती है कि:
ए) उधारकर्ता की प्रत्यक्ष ईक्विटी होल्डिंग प्रदत्त ईक्विटी की न्यूनतम 25 प्रतिशत है
(भा.रि.बैंक द्वारा रिकार्ड पर लिए गए एफसीजीपीआर /रिकार्ड पर लिए गए एफसीटीआरएस के अनुसार)
बी) 5 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक उधारों के लिए प्रस्तावित उधारों सहित, ईसीबी देयता-ईक्विटी अनुपात (4:1) मापदंड का पालन किया जाता है</td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="4">उधारकर्ता ने प्राधिकृत व्यापारी को इस आशय का लिखित वचनपत्र दिया है कि वह विगत ईसीबी/एफसीसीबी ऋणों के संबंध में भा.रि.बैंक को नियमित रूप से ईसीबी-2 विवरण प्रस्तुत कर रहा है</td><td>हाँ/लागू नहीं</td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="2">एलआरएन के आबंटन हेतु अन्य संगत महत्वपर्पू तथ्य</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

हम यह प्रमाणित करते हैं कि उधारकर्ता हमारे ग्राहक हैं और इस फार्म में दिए गए ब्योरे हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं। यह आवेदन पत्र, बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधी मौजूदा दिशा निदेशों के अनुरूप है तथा हम भा.रि.बैंक द्वारा ऋण पंजीकरण नंबर (एलआरएन) के आबंटन के लिए सिफारिश करते हैं।

स्थान : ___________ मुहर ___________________________

दिनांकः ___________ (प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

नामः पदनाम :

बैंक/शाखा का नाम : प्रा.व्या.कूट(भागIऔरभागII):

टेलीफोन नं.: फैक्स नं. ई-मेल आईडी:

केवल रिज़र्व बैंक (सांसूप्रवि) के उपयोग के लिए

सीएस-डीआरएमएस टीम	प्राप्ति की तारीख		कार्रवाई की तारीख			ऋण वर्गीकरण			
एलआरएन(यदि आबंटित हो)									

फॉर्म 83 प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश

1. सभी तिथियां वर्ष/महीना/दिनांक के फार्मेट में होनी चाहिए (जैसे 21 जनवरी 2012 के लिए 2012/01/21)।
2. कोई भी मद (कॉलम) रिक्त न छोड़ें। जहां कोई मद लागू न हो वहां 'लागू नहीं' लिखें।
3. यदि किसी मद के सामने पूरी जानकारी/ ब्योरे देने के लिए पर्याप्त स्थान न हो, तो फार्म के साथ अलग से पन्ना जोड़ा जाए और संलग्नक (अनुबंध) के रूप में उसे क्रम संख्या दी जाए। ऐसा प्रत्येक संलग्नक उधारकर्ता और प्राधिकृत व्यापारी दोनों द्वारा प्रमाणित किया जाए ।
4. उधारकर्ता प्राधिकृत व्यापारी के उपयोग के लिए अपने व्यवसाय गतिविधि (क्या विनिर्माण/व्यापार/सेवा प्रदाता, आदि) का संक्षिप्त ब्योरा दें।
5. रिज़र्व बैंक को फार्म अग्रेषित करने से पहले, प्राधिकृत व्यापारी यह सुनिश्चित करें कि फार्म सभी तरह से पूर्ण और सही है तथा संबंधित सभी मूल दस्तावेजों की स्वयं अवश्य जांच करे ।अपूर्ण फॉर्म भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत व्यापारी को अस्वीकृत किए /वापस लौटाये जा सकते हैं ।
6. विकास वित्तीय संस्थाओं/ वित्तीय संस्थाओं/ बैंकों / गैर -बैंकिंग वित्तीय कंपनियों आदि के जरिए उप-ऋण प्राप्त करने वाली फर्में / कंपनियां यह फार्म न भरें किंतु रिपोर्टिंग के लिए सीधे ही संबंधित वित्तीय संस्था से संपर्क करें।
7. फॉर्म का भाग सी भरने में उपयोग करने के लिए निम्नलिखित कूट हैं :

बॉक्स 1 : गारंटी स्थिति कूट

क्रम सं.	कूट	विवरण
1	जीजी	भारत सरकार की गारंटी
2	सीजी	सार्वजनिक क्षेत्र की गारंटी
3	पीबी	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की गारंटी
4	एफआई	वित्तीय संस्था की गारंटी
5	एमबी	बहुपक्षीय/ द्विपक्षीय संस्था की गारंटी
6	पीजी	निजी बैंक की गारंटी
7	पीएस	निजी क्षेत्र की गारंटी
8	एमएस	परिसंपत्ति / प्रतिभूति बंधक
9	ओजी	अन्य गारंटी
10	एनएन	गारंटीकृत नहीं

बॉक्स 2 : उधार के प्रयोजन का कूट

क्रम सं.	कूट	विवरण
1	आईसी	पूंजी माल का आयात
2	आरएल	पूंजी माल का स्थानीय स्रोत (रुपया व्यय)
3	एसएल	ऑन लेंडिंग अथवा सब लेंडिंग
4	आरएफ	पहले लिए गए ईसीबी का पुनर्वित्तपोषण
5	एनपी	नई परियोजना
6	एमई	विद्यमान इकाइयों का आधुनिकीकरण/ विस्तार
7	पीडब्ल्यू	बिजली
8	टीएल	दूरसंचार
9	आरडब्ल्यू	रेलवे
10	आरडी	रोड
11	पीटी	बंदरगाह
12	आईएस	औद्योगिक पार्क
13	यूआई	शहरी मूलभूत/ आवश्यक संरचना तत्व
14	ओआई	संयुक्त उद्यमों/पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनियों में समुद्रपारीय निवेश
15	डीआई	सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का विनिवेश
16	टीएस	टेक्सटाइल उद्योग/स्टील उद्योग पुनर्रचना पैकेज
17	एमएफ	माइक्रो फाइनेंस कार्यकलाप

18	ओटी	अन्य (कृपया स्पष्ट करें)
19	ईआर	खनन, अन्वेषण और परिष्करण
20	सीएस	कोल्ड स्टोरेज अथवा शीत गृह सुविधा
21	सीआई	निर्माण के दौरान ब्याज
22	आरआर	रुपया ऋणों का पुनर्वित्तपोषण
23	आरबी	एफसीसीबी का मोचन

बॉक्स 3 : औद्योगिक कूट		
उद्योग समूह का नाम	उद्योग का विवरण	कूट
बागान(100)	चाय	111
	कॉफी	112
	रबड़	113
	अन्य	119
खनन(200)	कोयला	211
	धातु	212
	अन्य	219
पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पाद विनिर्माण		300
कृषि उत्पाद (400)	खाद्यान्न	411
	पेय पदार्थ	412
	चीनी	413
	सिगरेट तथा तंबाकू	414
	ब्रुअरी और डिस्टिलरी	415
	अन्य	419
कपड़ा(टेक्सटाइल) उत्पाद (420)	सूती वस्त्र	421
	जूट और कॉइर (नारियल जटा)	422
	रेशम और रयॉन	423
	अन्य वस्त्र	429
परिवहन उपकरण (430)	ऑटोमोबाइल	431
	ऑटो उपकरण और पुर्जे	432
	जहाज़ निर्माण उपकरण और गोदाम	433
	रेलवे उपकरण और गोदाम	434
	अन्य	439
मशीन और औजार (440)	कपड़ा (टेक्सटाइल) मशीनें	441
	कृषि मशीनें	442
	मशीन औजार	443
	अन्य	449
धातु और धातु उत्पाद (450)	फेरस (लोहा और इस्पात)	451
	नॉन-फेरस	452

	विशेष एलौव्ज	453
	अन्य	459
इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक माल और मशीनें (460)	इलेक्ट्रिकल माल	461
	केबल	462
	कंप्यूटर हार्डवेअर और कंप्यूटर आधारित प्रणाली	463
	इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व, ट्यूब और अन्य	464
	अन्य	469
रसायन और संबंधित उत्पाद (470)	खाद (उर्वरक)	471
	रंग और रंग सामग्री	472
	दवाइयां और फार्मस्युटिकल्स	473
	पेंट और वार्निशिंग	474
	साबुन, डिटर्जेंट, शैम्पू, शेविंग उत्पाद	475
	अन्य	479
अन्य उत्पाद (480)	सीमेंट	481
	अन्य निर्माण सामग्री	482
	चमड़ा और चमड़ा उत्पाद	483
	लकड़ी के उत्पाद	484
	रबड़ माल	485
	कागज़ और कागज़ उत्पाद	486
	टाइपराइटर और अन्य कार्यालय उपकरण	487
	छपाई और प्रकाशन	488
	विविध	489
व्यापार		500
निर्माण और टर्न की परियोजनाएं		600
परिवहन		700
उपयोगिता वस्तुएं (800)	बिजली उत्पादन, संचारण और वितरण	811
	अन्य	812
बैंकिंग क्षेत्र		888
सेवाएं(900)	दूरसंचार सेवाएं	911
	सॉफ्टवेअर विकास सेवाएं	912
	तकनीकी इंजीनियरिंग और परामर्श सेवाएं	913
	दौरे और यात्रा सेवाएं	914
	कोल्ड स्टोरेज, कैनिंग और गोदाम सेवाएं	915
	मीडिया विज्ञापन और मनोरंजन सेवाएं	916
	वित्तीय सेवाएं	917
	परिवहन सेवाएं	919
	अन्य	950
अन्य (जिन्हें और कहीं वर्गीकृत न किया गया हो)		999

अनुबंध- III

ईसीबी-2

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अधीन बाह्य वाणिज्यिक उधार के वास्तविक लेनदेनों की रिपोर्टिंग

(ऋण के सभी संवर्गों और किसी भी राशि के लिए)

माह ___________ की विवरणी

1. यह विवरणी ईसीबी के सभी संवर्गों के लिए भरी जानी चाहिए। इसे माह की समाप्ति से 7 कार्य दिवस के भीतर नामित प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से निदेशक, सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग (सांसूप्रवि), भुगतान संतुलन सांख्यकी प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, सी-8/9, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051 को भेजा जाना चाहिए। किसी विशिष्ट अवधि में कोई लेनदेन न होने की स्थिति में **"कुछ नहीं"** विवरणी भेजी जानी चाहिए।
2. कृपया कोई भी स्तंभ खाली न छोड़ें। प्रत्येक मद के सामने पूर्ण ब्योरे प्रस्तुत करें। जहां कोई विशिष्ट मद लागू न हो उसके सामने "लागू नहीं" लिखें।
3. सभी तिथियां ववвв/मम/दिदि के फार्मेट में होनी चाहिए, जैसे कि 21जनवरी 2004 के लिए 2004/01/21 ।
4. विकास वित्तीय संस्थाओं (डीएफआई)/बैंकों/गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं आदि के जरिए उप-ऋण लेने वाले उधारकर्ता इस फार्म को न भरें चूंकि संबंधित वित्तीय संस्था ईसीबी-2 सीधे ही प्रस्तुत करेगी।
5. रिज़र्व बैंक (सांसूप्रवि) को विवरणी अग्रेषित करने से पहले, कंपनी सचिव/ सनदी लेखकार संबंधित सभी मूल दस्तावेजों की अवश्य जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि विवरणी सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ईसीबी दिशानिर्देशों के अनुसार सभी तरह से पूर्ण और सही है।
6. 1 फरवरी 2004 के बाद के सभी ऋणों के लिए ऋण पंजीकरण संख्या का उल्लेख किया जाए। उससे पहले के ऋणों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आबंटित ऋण पंजीकरण संख्या का उल्लेख किया जाए।
7. यदि किसी मद के सामने पूरी जानकारी/ ब्योरे देने के लिए पर्याप्त स्थान न हो, तो विवरणी के साथ अलग से पन्ना जोड़ा जाए और संलग्नक (अनुबंध) के रूप में उसे क्रमानुसार संख्या दी जाए।
8. भाग सी (उपयोग) के लिए निम्नलिखित कूट प्रयोजनों का उपयोग किया जाए।

कूट/कोड	**विवरण**	**कूट**	**विवरण**
आईसी	पूंजी माल का आयात	पीटी	पोर्ट
आई एन	गैर-पूंजी माल का आयात	आईएस	औद्योगिक पार्क
आरएल	पूंजी माल का स्थानीय स्रोत (रुपया व्यय)	यू आई	शहरी मूलभूत आवश्यक तत्व
आरसी	कार्यशील पूंजी (रुपया व्यय)	ओआई	संयुक्त उद्यमों/पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनियों में समुद्रपारीय निवेश
एसएल	ऑन-लेंडिंग और सब-लेंडिंग	आईटी	एकीकृत टाउनशिप का विकास
आरपी	पहले लिए गए ईसीबी की चुकौती	डीआई	सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का विनिवेश
आई पी	ब्याज भुगतान	टीएस	कपड़ा उद्योग/स्टील उद्योग पुनर्रचना पैकेज
एचए	विदेश में धारित राशि	एमएफ	माइक्रो फाइनेंस कार्यकलाप
एनपी	नई परियोजना	ओटी	अन्य (कृपया स्पष्ट करें)

एमई	विद्यमान इकाइयों का आधुनिकीकरण / विस्तार	ईआर	माइनिंग एक्स्प्लोरेशन ऐंड रिफाइनिंग
पीडब्ल्यू	बिजली	सीएस	कोल्ड स्टोरेज और कोल्डरूम सुविधा
टीएल	दूरसंचार	सीआई	विनिर्माण के दौरान ब्याज
आरडब्ल्यू	रेलवे	आरआर	यपया ऋणों का पुनर्वित्तपोषण
आरडी	रोड	आरबी	एफसीसीबीज़ का मोचन

9. विप्रेषण के लिए निधियों के स्रोत के बाबत भाग डी(कर्ज का भुगतान) में निम्नलिखित कूट का उपयोग करें ।

कूट	**विवरण**
ए	भारत से विप्रेषण
बी	विदेशी में धारित खाता
सी	विदेशी में धारित निर्यात आय
डी	ईक्विटी पूंजी का परिवर्तन
ई	अन्य (कृपया स्पष्ट करें)

भाग ए : ऋण पहचान के ब्योरे

ऋण पंजीकरण सं.										

<table>
<tr><td colspan="3">ऋण की राशि</td><td>उधारकर्ता के ब्योरे</td></tr>
<tr><td></td><td>मुद्रा</td><td>राशि</td><td rowspan="8">उधारकर्ता का नाम और पता
(अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)
संपर्ककर्ता व्यक्ति का नाम
पदनाम
फोन सं.
फैक्स सं.
ई-मेल आइडी :</td></tr>
<tr><td rowspan="3">करार के अनुसार</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">संशोधित
(यदि वितरण की अवधि समाप्त हो चुकी हो/रद्द की जा चुकी हो/ भविष्य में आहरित न की जानी हो, तो उसका उल्लेख करें)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

भाग बी : वितरण

बी.1. माह के दौरान आहरण (वितरण) द्वारा कमी (ऋण की करेंसी में):

<table>
<tr><td>ब्योरे</td><td>दिनांक
(ववвव/मम/दिदि)</td><td>मुद्रा</td><td>राशि</td><td>बैंक/शाखा का नाम</td><td>खाता सं.</td></tr>
<tr><td>ए. विदेश में पार्क राशि</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>बी. भारत विप्रेषित राशि</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">अपेक्षित नहीं</td></tr>
<tr><td colspan="6">टिप्पणी : 1. माल अथवा सेवाओं के आयात के मामले में, आहरण द्वारा कमी की तारीख के सामने आयात की तारीख दी जाए ।
2. वित्तीय पट्टा के मामले में माल के अधिग्रहण की तारीख को आहरण द्वारा कमी की तारीख के रूप में लिखा जाए।
3. प्रतिभूतिकृत लिखत के मामले में, निर्गम की तारीख को आहरण द्वारा कमी की तारीख के रूप में लिखा जाए।
4. मल्टी करेंसी ऋण के मामले में अलग से ब्लाक संलग्न किए जाएं।</td></tr>
</table>

बी 2. भविष्य में आहरित किए जाने वाले ऋण की बकाया राशि:

<table>
<tr><td rowspan="2">आहरण द्वारा कमी का प्रत्याशित दिनांक (ववвव/मम/दिदि)</td><td rowspan="2">मुद्रा</td><td rowspan="2">राशि</td><td colspan="2">एक से ज़्यादा एकसमान किस्तें हो तो</td></tr>
<tr><td>आहरणों की कुल सं.</td><td>एक कैलेंडर वर्ष के दौरान कुल आहरणों की सं.</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

भाग सी: उपयोग

सी.1: महीने के दौरान आहरण द्वारा (केवल मूल राशि में) कमी के उपयोग के ब्योरे :

ब्योरे	दिनांक	प्रयोजन कूट* (बॉक्स 1 देखें)	मुद्रा	राशि	देश	बैंक का नाम	खाता सं.
विदेश में रखी राशि से							
भारत विप्रेषित राशि से					अपेक्षित नहीं		
* पेज नं. 1 पर नोट नं. 8 के अनुसार कोड							

सी.2: विदेश में रखी गई राशिगत (केवल मूल राशि) बकाया:

ब्योरे	दिनांक	मुद्रा	राशि	बैंक/शाखा का नाम	खाता सं.
माह के अंत में					

भाग डी: कर्ज का भुगतान

डी.1: माह के दौरान (ऋण की करेंसी में) मूल धन की चुकौती, ब्याज का भुगतान आदि

श्रृखला सं.	प्रयोजन	विप्रेषण का दिनांक	मुद्रा	राशि	विप्रेषण के स्रोत के लिए कोड*	क्या मूल धन की समयपूर्व अदायगी है? (हां/नहीं)#
	मूलधन की चुकौती@					
	ब्याज@ दर					
	अन्य (उल्लेख करें)					

* पेज नं. 1 पर नोट नं. 9 के अनुसार कोड

समयपूर्व चुकौती के मामले में कृपया स्वचालित/अनुमोदन मार्ग, नं. दिनांक, राशि के ब्योरे संलग्नक में दें।

@ एफसीसीबी/ईसीबी के ईक्विटी में परिवर्तन, बकाया एफसीसीबी के बायबैक/मोचन अथवा इसीबी मूलधन को बट्टे खाते डालने के ट्रांजैक्शन (लेनदेन) उचित टिप्पणी के साथ मूलधन की चुकौती के समक्ष दर्शाएं जाएं।

डी.2: परिशोधित मूल राशि की चुकौती अनुसूची (अगर परिशोधित / ब्याज दर स्वैप किया गया हो तो)

दिनांक (वर्ष/माह/दिनांक) (पहली चुकौती की तारीख)	मुद्रा	प्रत्येक लेनदेन में ऋण की मुद्रा में राशि	एक से अधिक एक समान किस्तें हों तो		वार्षिकी दर (अगर वार्षिकी भुगतान हो तो)
			किस्तों की कुल सं.	एक कैलेंडर वर्ष में भुगतानों की सं.(1,2,3,4,6,12)	

भाग ई: अन्य

ई.1 संविदागत(contracted) वित्तीय हेज (यदि कोई हो) के ब्योरे:

	करेंसी स्वैप	वायदा(forward)	आप्शन	अन्य	कुल	ब्याज दर स्वैप
रुपया - विदेशी मुद्रा						
विदेशी मुद्रा-विदेशी मुद्रा						

ई.2 नेचुरल हेज (यदि कोई हो) के ब्योरे:

विगत तीन वर्षों के लिए औसत वार्षिक राशि (लगभग) (किसी एक विदेशी मुद्रा में रिपोर्ट की जाए)

करेंसी	विदेशी मुद्रा अर्जन	विदेशी मुद्रा में व्यय

भाग एफ: बकाया मूलधन

बकाया ऋण राशि (उस मुद्रा में जिसमें ऋण लिया गया)

(अर्थात कुल आहरण द्वारा कमी – माह के अंत तक कुल चुकौती)

मुद्रा ____________________ ☐ ☐ ☐ राशि: __________________

हम एतद्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए ब्योरे सत्य और सही हैं। कोई भी महत्वपूर्ण सूचना रोकी / अथवा गलत नहीं दी गई है।

स्थान : _____________ स्टैम्प _____________

____

दिनांक : _____________ उधारकर्ता कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर

नाम: ________________________

पदनाम : ____________________

टेलीफोन नं.___________________

कंपनी सचिव / सनदी लेखाकार का प्रमाणपत्र

हम इसके द्वारा प्रमाणित करते हैं कि सरकार अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुसार अथवा अनुमोदन मार्ग/ स्वतःअनुमोदित मार्ग के अंतर्गत लिए गए ईसीबी को लेखा बहियों में हिसाब में लिया गया है। आगे यह कि ईसीबी आय का ______________________________ प्रयोजन के लिए उधारकर्ता ने उपयोग किया है। हमने ईसीबी आय के उपयोग से संबंधित सभी दस्तावेजों और रिकार्डों का सत्यापन किया है और उसे सही पाया है और वे ऋण करार के शर्तों और भारत सरकार (वित्त मंत्रालय) अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा अथवा अनुमोदन मार्ग/ स्वतः अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत स्वीकृत अनुमोदन के अनुसार हैं और सरकार द्वारा जारी ईसीबी दिशानिर्देशों के अनुसार हैं।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

स्थान : नाम और पता

दिनांक : पंजीकरण सं.

[मुहर]

प्राधिकृत व्यापारी का प्रमाणपत्र

हम इसके द्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि हमारे रिकार्ड के अनुसार ऋण चुकौती, बकाया और चुकौती अनुसूची के बारे में ऊपर दिए गए ब्योरे सत्य और सही हैं। ईसीबी का आहरण, उपयोग और उसकी चुकौती की जाँच की गई और प्रमाणित किया जाता है कि ईसीबी के ऐसे आहरण, उपयोग और उसकी चुकौती ईसीबी दिशानिदेशों के अनुसार है।

स्थान : ____________ दिनांक : ____________ [मुहर]	___________________________ (प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर) नामः ___________________________________ पदनाम :___________________________________ प्राधिकृत व्यापारी का नाम और पता :----------------------------- --- टेलीफोन नं.:-------------------------------------- ई-मेल आयडी:------------------------------------

अनुबंध- IV

फार्म- टीसी

17 अप्रैल 2004 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.87 का संलग्नक(अनुबंध)										
	भाग I :-----------माह् /वर्ष के दौरान सभी शाखाओं द्वारा दिये गये व्यापारिक उधार का अनुमोदन									
	प्राधिकृत व्यापारी का नाम:					संपर्ककर्ता व्यक्ति:				
	पता :					टेलीफोन नं.:				
						फैक्स:				
क्रम संख्या	मंजूरी देने की तारीख	ऋण पहचान संख्या	उधारकर्ता की श्रेणी	उधारदाता* का नाम	उधारदाता* का देश	करेंसी	राशि	अमरीकी डॉलर में समतुल्य राशि	ब्याज दर	अमरीकी डालर में अन्य प्रभार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	कुल									

फार्म - टीसी		17 अप्रैल 2004 का एपी (डीआईआर सिरीज़)परिपत्र सं. 87 का अनुबंध				
भाग I : ------------माह /वर्ष के दौरान सभी शाखाओं द्वारा दिए गए व्यापारिक उधार का अनुमोदन						
ई-मेल:						
	ऋण की अवधि		ऋण का स्वरूप**		आयात की मद / प्रस्तावित आयात	
समग्र लागत	दिनों/महीनों/ वर्षों की संख्या	समय अवधि की इकाई	आपूर्तिकर्ता का ऋण/ क्रेता का ऋण	अल्पकालिक व्यापार ऋण/ दीर्घकालीन व्यापार ऋण	विवरण	श्रेणी***
12	13	14	15	16	17	18

I. आपूर्तिकर्ता का ऋण (एससी)

II. क्रेता का ऋण (बीसी)

III. अल्पकालिक व्यापार ऋण (एसटीसी)(एक वर्ष की परिपक्वता अवधि)

IV. दीर्घकालीन व्यापार ऋण (एलटीसी) (एक वर्ष से अधिक तथा तीन वर्षों से कम परिपक्वता अवधि)

V. कुल व्यापार ऋण (टीसी) (I+II)

* अथवा आपूर्तिकर्ता

** कृपया संबंधित कोड सं. जैसे (एससी) अथवा (बीसी) अथवा (एसटीसी) अथवा (एलटीसी) टाइप करें

*** पेट्रोलियम ऑइल लुब्रिकेंट्स, कैपिटल गुड्स, अन्य

टिप्पणी 1 ऋण पहचान संख्या का फार्मेट है : टीसी/(बैंक/ शाखा का नाम) / (पहचान संख्या)

टिप्पणी 2 कॉलम सं. 8 से 13 तक की सूचना केवल अंकों में दी जाए। इन कॉलमों में अक्षर न लिखे जाएं।

टिप्पणी 3 कॉलम सं. 2 में तारीख का कॉलम है : वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष /माह माह /दिन दिन

उदाहणार्थ 31 दिसंबर 2003 इस प्रकार से लिखा जाए: 2003/12/31

फार्म - टीसी

भाग II :_______ (माह)/(वर्ष) के दौरान व्यापारिक उधार का संवितरण, उपयोग और ऋण शोधन											
क्रम संख्या	ऋण पचान संख्या	अनुमोदित राशि (अमरीकी डालर में)	संवितरण (अमरीकी डालर में)	उपयोग (अमरीकी डालर में)	चुकौती (अमरीकी डालर में)					इनका दिनांक	
					मूल	ब्याज	अन्य प्रभार	कुल (6+7+8)	बकाया (4-6)	पोतलदान	अंतिम अदायगी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12.

नोट 1 : स्तंभ सं. 1, 3 से 10 में सूचना सिर्फ अंकों में भरी जाए। इन स्तंभों में कोई अक्षर न लिखे जाएं।

नोट 2 : स्तंभ सं. 11,12 में दिनांक फार्मेट (ववвв/मम/दिदि)। उदारण के लिए 31 दिसंबर 2003 को 2003/12/31 के रूप में लिखा जाए।

प्राधिकृत व्यापारी द्वारा प्रमाणपत्र

1. ___________ माह के दौरान हमारी सभी शाखा/ओं से आयात हेतु अनुमोदित सभी व्यापारिक उधारों को इस विवरण में शामिल किया गया है।

2. ऐसे व्यापारिक उधार के उपयोग से संबंधित सभी आयात दस्तावेजों (बिल ऑफ एंट्री की ईसी प्रति सहित) का सत्यापन कर लिया गया है और इन्हें सही पाया गया है।

3. हमारी शाखा/ओं द्वारा अनुमोदित सभी व्यापारिक उधारों के आहरण, उपयोग और पुनर्भुगतान की जांच की गई और प्रमाणित किया जाता है कि व्यापारिक उधारों के ऐसे आहरण, उपयोग और चुकौती, आयात के लिए व्यापारिक उधारों पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 17 अप्रैल 2004 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र संख्या 87 में, समय-समय पर इसके संशोधित संस्करणों में दिए गए, अनुदेशों के अनुरूप है।

स्थान : _____________ ____________________

दिनांक : _____________ मुहर प्राधिकृत व्यापारी के हस्ताक्षर

अनुबंध V

प्राधिकृत व्यापारी बैंकों द्वारा जारी गारंटी/वचनपत्र /लेटर ऑफ कंफर्ट का विवरण

-- को समाप्त तिमाही

प्राधिकृत व्यापारी का नाम : संपककर्ता व्यक्ति :

पता : टेलीफोन :

ई-मेल : फैक्स :

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

निवासियों की ओर से	गारंटी / वचनपत्र / लेटर ऑफ कंफर्ट	
	जारी किया गया	
	क्रेता ऋण	आपूर्तिकर्ता ऋण
व्यापार ऋण (3 वर्ष से कम) (ए) एक वर्ष तक (बी) एक वर्ष से ज्यादा तथा तीन वर्षों से कम** ** (पूंजीगत माल के आयात तक सीमित)		

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान : . . . .

दिनांक : . . . . . . मुहर

<u>अनुबंध VI</u>

औसत परिपक्कता की गणना – उदाहरण

एबीसी लि.   ऋण राशि = 2 मिलियन अमरीकी डॉलर

आहरण/चुकौती की तारीख (मम/दिदि/ववvव)	आहरण	चुकौती	शेष	उधारकर्ता के पास शेष रहे दिनों की संख्या**	उत्पाद = (स्तंभ 4* स्तंभ 5)/(ऋण राशि* 360
स्तंभ 1	स्तंभ 2	स्तंभ 3	स्तंभ 4	स्तंभ 5	स्तंभ 6
05/11/2007	0.75		0.75	24	0.0250
06/05/2007	0.50		1.25	85	0.1476
08/31/2007	0.75		2.00	477	1.3250
12/27/2008		0.20	1.80	180	0.4500
06/27/2009		0.25	1.55	180	0.3875
12/27/2009		0.25	1.30	180	0.3250
06/27/2010		0.30	1.00	180	0.2500
12/27/2010		0.25	0.75	180	0.1875
06/27/2011		0.25	0.50	180	0.1250
12/27/2011		0.25	0.25	180	0.0625
06/27/2012		0.25	0.00		

औसत परिपक्कता = 3.2851

**द्वारा परिकलित=360दिन (पहली तारीख,दूसरी तारीख,360)

अनुबंध VII

निधि और गैर निधि आधारित गतिविधियों के लिए
अनिवासी एंटिटीज़ से ली गई गारंटियों से संबंधित तिमाही विवरण

29 अगस्त 2012 के ए.पी. (DIR Series) परिपत्र सं.20 का अनुबंध

ए.डी. बैंक का नाम

उसका नाम जिससे संपर्क किया जाना है

टेलीफोन नं.

फैक्स नं.

भाग I- ----------को समाप्त तिमाही के लिए अनिवासी एंटिटीज़ से प्राप्त निधि एवं गैर-निधि आधारित गारंटियों का ब्योरा

क्र.	उधारकर्ता का नाम	उधारकर्ता की प्रमुख गतिविधि	गारंटर का नाम	गारंटर का स्टेटस (बैंक / वित्तीय संस्था/ विदेशी ईक्वटी होल्डर, आदि)	अनिवासी गारंटी स्वीकारने वाले निवासी उधारदाता का नाम	भारतीय रुपए में राशि	अमरीकी डालर में समतुल्य राशि (लगभग)	सुविधा का प्रकार (निधि/गैर-निधि आधारित)	गारंटी पर कमीशन, यदि कोई हो

भाग II-फेमा अधिसूचना सं.29 के अनुसार अनिवासी एंटिटीज़ से प्राप्त मे से आहूत गारंटियों का ब्योरा ----------को समाप्त तिमाही हेतु

क्र.	उधारकर्ता का नाम	उधारकर्ता की प्रमुख गतिविधि	गारंटर का नाम	गारंटर का स्टेटस (बैंक / वित्तीय संस्था/ विदेशी ईक्वटी होल्डर, आदि)	निवासी उधारदाता का नाम	भारतीय रुपए में राशि	अमरीकी डालर में समतुल्य राशि (लगभग)	सुविधा का प्रकार (निधि/गैर-निधि आधारित)	आहूत (invoke) करने के कारण	देयता चुकाने का ब्योरा (भारत में रखे रुपया शेष अथवा भारत विप्रेषित निधियों अथवा एफसीएनआर/ एनआरई खाते को नामे करके)

स्थान

दिनांक

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

चुकाने के ब्योरे

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

परिशिष्ट

बाह्य वाणिज्यिक उधार और व्यापारिक उधार के संबंध में इस मास्टर परिपत्र में समेकित अधिसूचनाओं/ए.पी.(डीआइआर सिरीज़)परिपत्रों की सूची

क्रम सं.	अधिसूचना / परिपत्र	दिनांक
	अधिसूचना सं. फेमा.3/2000-आरबी दिनांक 3 मई 2000 में संशोधन	
1.	फेमा 126/2004-आरबी	13 दिसंबर, 2004
2.	फेमा 127/2005-आरबी	5 जनवरी, 2005
3.	फेमा 129/2005-आरबी	20 जनवरी, 2005
4.	फेमा 142/2005-आरबी	6 दिसंबर, 2005
5.	फेमा 157/2007-आरबी	30 अगस्त, 2007
6.	फेमा 194/2009-आरबी	17 जून, 2009
7.	फेमा 197/2009-आरबी	22 सितंबर, 2009
8.	फेमा 232/2012-आरबी	30 मई 2012
9.	फेमा 245/2012-आरबी	12 नवंबर 2012
10.	फेमा 246/2012-आरबी	27 नवंबर 2012
11.	फेमा 250/2012-आरबी	6 दिसंबर 2012
12.	फेमा 256/2013-आरबी	6 फरवरी 2013
13.	फेमा 270/2013-आरबी	19 मार्च 2013
14.	फेमा 281/2013-आरबी	19 जुलाई 2013
15.	फेमा 286/2013-आरबी	5 सितंबर 2013
16.	फेमा 288/2013-आरबी	26 सितंबर 2013
	अधिसूचना सं. फेमा.8/2000-आरबी दिनांक 3 मई 2000 में संशोधन	
1.	फेमा 206/2012-आरबी	1 जून 2012
2.	फेमा 251/2012-आरबी	6 दिसंबर 2012
	ए.पी.(डीआईआर सीरीज़) परिपत्र	
1.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.41	29 अप्रैल, 2002
2.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.29	18 अक्तूबर, 2003
3.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.60	31 जनवरी, 2004
4.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.75	23 फरवरी, 2004
5.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.82	1 अप्रैल, 2004
6.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.87	17 अप्रैल, 2004
7.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.15	1 अक्तूबर, 2004

8.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.24	1 नवंबर, 2004
9.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.40	25 अप्रैल, 2005
10.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.5	1 अगस्त, 2005
11.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.15	4 नवंबर, 2005
12.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.23	23 जनवरी, 2006
13.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.34	12 मई, 2006
14.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.17	4 दिसंबर, 2006
15.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.44	30 अप्रैल, 2007
16.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.60	21 मई, 2007
17.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.04	7 अगस्त, 2007
18.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.10	26 सितंबर, 2007
19.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.42	28 मई, 2008
20.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.43	29 मई, 2008
21.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.46	02 जून,2008
22.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.1	11 जुलाई, 2008
23.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.16	22 सितंबर,2008
24.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.17	23 सितंबर,2008
25.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.20	8 अक्तूबर, 2008
26.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.26	22 अक्तूबर, 2008
27.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.27	27 अक्तूबर, 2008
28.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.39	08 दिसंबर, 2008
29.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.46	2 जनवरी, 2009
30.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.58	13 मार्च, 2009
31.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.64	28 अप्रैल, 2009
32.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.65	28 अप्रैल, 2009
33.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.71	30 जून, 2009
34.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.19	9 दिसंबर, 2009
35.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.28	25 जनवरी, 2010
36.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.33	9 फरवरी, 2010
37.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.38	2 मार्च, 2010
38.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.39	2 मार्च, 2010
39.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.40	2 मार्च , 2010

40.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.44	29 मार्च, 2010
41.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.51	12 मई, 2010
42.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.04	22 जुलाई 2010
43.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.08	12 अगस्त 2010
44.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.01	04 जुलाई 2011
45.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.11	07 सितंबर 2011
46.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.25	23 सितंबर 2011
47.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.26	23 सितंबर 2011
48.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.27	23 सितंबर 2011
49.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.28	26 सितंबर 2011
50.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.29	26 सितंबर 2011
51.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.30	27 सितंबर 2011
52.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.44	15 नवंबर 2011
53.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.51	23 नवंबर 2011
54.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.52	23 नवंबर 2011
55.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.59	19 दिसंबर 2011
56.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.64	05 जनवरी 2012
57.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.69	25 जनवरी 2012
58.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.70	25 जनवरी 2012
59.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.75	07 फरवरी 2012
60.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.85	29 फरवरी 2012
61.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.99	30 मार्च 2012
62.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.100	30 मार्च 2012
63.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.111	20 अप्रैल 2012
64.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.112	20 अप्रैल 2012
65.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.113	24 अप्रैल 2012
66.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.119	07 मई 2012
67.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.134	25 जून 2012
68.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.136	26 जून 2012
69.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 1	5 जुलाई 2012
70.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.20	29 अगस्त 2012
71.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.26	11 सितंबर 2012

72.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.27	11 सितंबर 2012
73.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.28	11 सितंबर 2012
74.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.39	9 अक्तूबर 2012
75.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.40	9 अक्तूबर 2012
76.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.48	6 नवंबर 2012
77.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.54	26 नवंबर 2012
78.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.58	14 दिसंबर 2012
79.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.59	14 दिसंबर 2012
80.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.60	14 दिसंबर 2012
81.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.61	17 दिसंबर 2012
82.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.63	20 दिसंबर 2012
83.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.69	7 जनवरी 2013
84.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.78	21 जनवरी 2013
85.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.87	5 मार्च 2013
86.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.98	9 अप्रैल 2013
87.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.113	24 जून 2013
88.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.114	25 जून 2013
89.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.115	25 जून 2013
90.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.116	25 जून 2013
91.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.117	25 जून 2013
92.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.119	26 जून 2013
93.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.120	26 जून 2013
94.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.6	8 जुलाई 2013
95.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.9	11 जुलाई 2013
96.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.10	11 जुलाई 2013
97.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.11	11 जुलाई 2013
98.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.12	15 जुलाई 2013
99.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.31	4 सितंबर 2013
100.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 48	18 सितंबर 2013
101.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 53	24 सितंबर 2013
102.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 56	30 सितंबर 2013
103.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.57	30 सितंबर 2013

104.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 58	30 सितंबर 2013
105.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 59	30 सितंबर 2013
106.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 78	3 दिसंबर 2013
107.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 85	6 जनवरी 2014
108.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 94	16 जनवरी 2014
109.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 105	17 फरवरी 2014
110.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 113	26 मार्च 2014
111.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 121	10 अप्रैल 2014
112.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 122	10 अप्रैल 2014
113.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 128	9 मई 2014
114.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 129	9 मई 2014
115.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 130	16 मई 2014
116.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 16	28 जुलाई 2014
117.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 17	28 जुलाई 2014
118.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 21	27 अगस्त 2014
119.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 39	21 नवंबर 2014